क वित्तीय आवश्यकताएं
कार्यकलापों एवं कार्यक्रमों का वर्गीकरण

(धनराशि रु. हजार में)

क्र0सं0	अनुदान संख्या	मद/योजना	वास्तविक व्यय 2014-2015		आय-व्ययक अनुमान 2015-2016		पुनरीक्षित अनुमान 2015-2016		आय-व्ययक अनुमान 2016-2017	
			आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
	5-/2851	**खादी ग्रामोद्योग**								
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
105-खादी ग्रामोद्योग										
	राज्य सेक्टर	**(राजस्व)**								
1	04	गाँधी जयन्ती के अवसर पर खादी की बिक्री पर छूट								
		27-सब्सिडी	200000.00	0.00	200000.00	0.00	200000.00	0.00	200000.00	0.00
2	05	प्रशिक्षण केन्द्रों की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण								
		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	6357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	06	प्रशिक्षण केन्द्रों में अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण								
		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	6000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
4	07	ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों का आयोजन								
		42-अन्य व्यय	0.00	7500.00	0.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	8000.00
5	08	खादी उत्पादन केन्द्र, खजनी-गोरखपुर हेतु वर्कशेड एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण								
		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	6000.00	0.00	6765.00	0.00	6765.00	0.00	5869.00	0.00
6	09	पुरस्कार योजना								
		42-अन्य व्यय	0.00	500.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00
7	12	खादी बिक्री केन्द्रों के सुद्दीकरण के लिए रिवाल्विंग फण्ड हेतु सहायता								
		20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
8	13	गाँधी जयन्ती के अवसर पर खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट के लम्बित दावों का भुगतान								
		27-सब्सिडी	0.00	0.00	346000.00	0.00	346000.00	0.00	0.00	0.00
9	21	मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना								
		27-सब्सिडी	0.00	160000.00	0.00	180000.00	0.00	180000.00	0.00	180000.00
10	22	मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लम्बित दावों का भुगतान								
		27-सब्सिडी	0.00	0.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00	90000.00	0.00
11	23	खादी एवं कम्बल उत्पादन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण								
		20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	6000.00	0.00	3055.00	0.00	3055.00	0.00	3055.00	0.00
12	24	ई-गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी								
		20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	2000.00
13	25	उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय								
		42-अन्य व्यय	0.00	1750.00	0.00	1750.00	0.00	1750.00	0.00	1750.00

क वित्तीय आवश्यकताएं

कार्यकलापों एवं कार्यक्रमों का वर्गीकरण

14	26	कौशल सुधार प्रशिक्षण								
		44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.00	7500.00	0.00	7500.00	0.00	7500.00	0.00	10000.00
15	14	जनपद कुशीनगर में खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना								
		35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	0.00	7500.00	0.00	7500.00	0.00	7500.00	5000.00	0.00
16	15	खादी के शोध, डिजाइन, मानकीकरण एवं प्रचार–प्रसार								
		20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	0.00	7500.00	0.00	7500.00	0.00	7500.00	4000.00	0.00
		उपयोग – 1	**224357.00**	**193250.00**	**645820.00**	**213800.00**	**645820.00**	**213800.00**	**312924.00**	**202300.00**

ftyk lDVj

16	11	खादी बोर्ड की वित्त पोषित इकाईयों को व्यवहारिक प्रशिक्षण (जिला योजना)								
		20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
17	5-/2235	जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत खादी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा								
		20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	0.00	1591.00	0.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00
		उपयोग – 2	**0.00**	**6591.00**	**0.00**	**6600.00**	**0.00**	**6600.00**	**0.00**	**5000.00**
		महायोग–उपयोग 1+उपयोग 2	**224357.00**	**199841.00**	**645820.00**	**220400.00**	**645820.00**	**220400.00**	**312924.00**	**207300.00**
		(पूँजी)								
18	5-/6851	उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के नवीन भवन निर्माण हेतु ब्याज रहित ऋण								
		30–निवेश/ऋण	0.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00
		योग	**0.00**	**0.00**	**100000.00**	**0.00**	**100000.00**	**0.00**	**100000.00**	**0.00**
		कुल योग राजस्व एवं पूँजी	**224357.00**	**199841.00**	**745820.00**	**220400.00**	**745820.00**	**220400.00**	**412924.00**	**207300.00**

ख उद्देश्यवार वर्गीकरण

(धनराशि रु0 हजार में)

क्र0सं0	मानक मद	लेखा शीर्षक	मद	वास्तविक व्यय 2014-2015			आय-व्ययक अनुमान 2015-2016			पुनरीक्षित अनुमान 2015-2016			आय-व्ययक अनुमान 2016-2017		
				आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	01	2851-105-03-31	वेतन	0.00	150922.00	150922.00	0.00	156472.00	156472.00	0.00	156472.00	156472.00	0.00	159500.00	159500.00
2	03	2851-105-03-31	मंहगाई भत्ता	0.00	143826.00	143826.00	0.00	186806.00	186806.00	0.00	186806.00	186806.00	0.00	205980.00	205980.00
3	06	2851-105-03-31	अन्य भत्ता	0.00	13100.00	13100.00	0.00	17967.00	17967.00	0.00	17967.00	17967.00	0.00	17720.00	17720.00
			उपयोग-1	**0.00**	**307848.00**	**307848.00**	**0.00**	**361245.00**	**361245.00**	**0.00**	**361245.00**	**361245.00**	**0.00**	**383200.00**	**383200.00**
4	04	2851-105-03-31	यात्रा भत्ता	0.00	2500.00	2500.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3500.00	3500.00
5	05	2851-105-03-31	स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	350.00	350.00
6	45	2851-105-03-31	अवकाश यात्रा भत्ता	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00
7	08	2851-105-03-31	कार्यालय व्यय	0.00	5500.00	5500.00	0.00	5500.00	5500.00	0.00	5500.00	5500.00	0.00	6500.00	6500.00
8	09	2851-105-03-31	विद्युत व्यय	0.00	2200.00	2200.00	0.00	2200.00	2200.00	0.00	2200.00	2200.00	0.00	2500.00	2500.00
9	10	2851-105-03-31	जलकर/जलप्रभार	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	600.00	600.00
10	11	2851-105-03-31	लेखन सामग्री/फार्म छपाई	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2200.00	2200.00	0.00	2200.00	2200.00	0.00	2600.00	2600.00
11	12	2851-105-03-31	कार्यालय फर्नीचर उपकरण मरम्मत	0.00	1200.00	1000.00	0.00	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	1200.00	0.00	1600.00	1600.00
12	13	2851-105-03-31	टेलीफोन व्यय	0.00	1500.00	1500.00	0.00	1800.00	1800.00	0.00	1800.00	1800.00	0.00	1800.00	1800.00
13	17	2851-105-03-31	किराया उपशुल्क कर एवं स्वामित्व	0.00	4500.00	4500.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	6000.00	6000.00
14	15	2851-105-03-31	गाड़ी अनुरक्षण एवं पेट्रोल	0.00	9000.00	9000.00	0.00	9200.00	9200.00	0.00	9200.00	9200.00	0.00	12000.00	12000.00
15	16	2851-105-03-31	व्यवसायिक एवं विशेष सेवा हेतु अनुदान	0.00	3100.00	3100.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	10000.00	10000.00
16	07	2851-105-03-31	मानदेय	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1200.00	1200.00
17	02	2851-105-03-31	मजदूरी	0.00	6600.00	6600.00	0.00	6600.00	6600.00	0.00	6600.00	6600.00	0.00	7600.00	7600.00
18	18	2851-105-03-31	प्रकाशन	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00
19	29	2851-105-03-31	अनुरक्षण	0.00	1700.00	1700.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	3500.00	3500.00
20	41	2851-105-03-31	भोजन व्यय	0.00	500.00	500.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	800.00	800.00

ख उद्देश्यवार वर्गीकरण

(धनराशि रु0 हजार में)

क्र0सं0	मानक मद	लेखा शीर्षक	मद	वास्तविक व्यय 2014-2015			आय-व्ययक अनुमान 2015-2016			पुनरीक्षित अनुमान 2015-2016			आय-व्ययक अनुमान 2016-2017		
				आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	42	2851-105-03-31	अन्य व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	800.00	800.00
22	44	2851-105-03-31	प्रशिक्षण व्यय	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00
23	46	2851-105-03-31	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00
24	47	2851-105-03-31	कम्प्यूटर अनुरक्षण/स्टेशनरी क्रय	0.00	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	1200.00	0.00	2000.00	2000.00
25	51	2851-105-03-31	वर्दी व्यय	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00
26	49	2851-105-03-31	चिकित्सा सुविधा	0.00	4000.00	4000.00	0.00	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	3500.00	0.00	4500.00	4500.00
			उप योग-2	**0.00**	**48450.00**	**48250.00**	**0.00**	**52250.00**	**52250.00**	**0.00**	**52250.00**	**52250.00**	**0.00**	**69000.00**	**69000.00**
			महायोग	**0.00**	**356298.00**	**356098.00**	**0.00**	**413495.00**	**413495.00**	**0.00**	**413495.00**	**413495.00**	**0.00**	**452200.00**	**452200.00**

ग वित्तीय संसाधनों के स्रोत

(धनराशि रु0 हजार में)

क्र. सं0	अनुदान संख्या	मुख्य लेखा शीर्षक	योजना	वास्तविक व्यय 2014–2015			आय–व्ययक अनुमान 2015–2016			पुनरीक्षित अनुमान 2015–2016			आय–व्ययक अनुमान 2016–2017		
				आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5	**2851– ग्राम तथा लघु उद्योग**													
1		105–31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)		0.00	356298.00	**356298.00**	0.00	413495.00	**413495.00**	0.00	413495.00	**413495.00**	0.00	452200.00	**452200.00**
2		105–31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन) अवशेषों का भुगतान		0.00	46275.00	**46275.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
3		105–खादी ग्रामोद्योग योजनायें	आयोजनागत	224263.00	184841.00	**409104.00**	745820.00	205400.00	**951220.00**	745820.00	205400.00	**951220.00**	412924.00	207300.00	**620224.00**
		योग		**224263.00**	**587414.00**	**811677.00**	**745820.00**	**618895.00**	**1364715.00**	**745820.00**	**618895.00**	**1364715.00**	**412924.00**	**659500.00**	**1072424.00**
4		001निदेशक तथा प्रशासन 03 कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय	0.00	0.00	3930.00	**3930.00**	0.00	4018.00	**4018.00**	0.00	4018.00	**4018.00**	0.00	4290.00	**4290.00**
		योग	**0.00**	**0.00**	**3930.00**	**3930.00**	**0.00**	**4018.00**	**4018.00**	**0.00**	**4018.00**	**4018.00**	**0.00**	**4290.00**	**4290.00**
			0.00	**224263.00**	**591344.00**	**815607.00**	**745820.00**	**622913.00**	**1368733.00**	**745820.00**	**622913.00**	**1368733.00**	**412924.00**	**663790.00**	**1076714.00**

उत्तर प्रदेश शासन

खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग

का

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक

आय–व्ययक

वर्ष 2016–2017

उत्तर प्रदेश शासन

खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग

का

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक

आय–व्ययक

वर्ष 2016–2017

फोन : 2208321, 2208310, 2208313, 2207004, 2208307, 2208287

फैक्स : 0522–2208243

ई–मेल: सीईओयूपीकेवीआईबी@जीमेल.काम

वेबसाइट : डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.यूपीकेवीआईबी.जीओवी.इन

संक्षिप्त प्राक्कथन

विभागीय योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक पक्षों में पारस्परिक सामन्जस्य स्थापित करने के उद्देश्य से विभाग के कार्यकलापों को वर्गीकृत करते हुए खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश एवं उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से विभिन्न योजनाएं संचालित है। खादी बोर्ड ग्रामीण क्षेत्र में कम पूँजी निवेश वाले छोटे–छोटे कुटीर उद्योग स्थापित कर अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन कर रहा है। वर्तमान सरकार की नीतियों एवं प्रतिबद्धता के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुए बेरोजगार नवयुवकों, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाओं, समाज के निर्बल वर्ग के लाभार्थियों, परम्परागत कारीगरों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा राज्य सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित है, तथा इसी के साथ–साथ भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत भी प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में कम पूंजीनिवेश से अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराकर सरकार के बेरोजगारी भत्ते पर बोझ कम करने में भी सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त खादी से जुड़ी कत्तिनों/कामगारों को खादी बिक्री पर छूट प्रदान कर लाभान्वित किया जा रहा है इसके साथ लाभार्थियों को प्रशिक्षण एवं अन्य सहायक योजनाओं के माध्यम से भी प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग का प्रचार–प्रसार, प्रदर्शन, विपणन एवं विकास किया जा रहा है। बोर्ड का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक (परफार्मेन्स बजट) वर्ष 2016–2017 प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है कि इससे आय–व्ययक में प्राविधानित व आवंटित धनराशि के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण रखने तथा समतुल्य उपलब्धियां प्राप्त करने में सहायता मिलेगी तथा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग स्थापित कर रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने में सफलता प्राप्त हो सकेगी।

मोनिका एस0 गर्ग
प्रमुख सचिव
खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ

विषय – सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ सं0
	संक्षिप्त प्राक्कथन	
	कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय	
1.	संक्षिप्त परिचय, विकास तथा मूलभूत उद्देश्य	2–3
2.	वित्तीय आवश्यकताएं	
	(क) कार्यकलापों एवं कार्यक्रमों का वर्गीकरण	4
	(ख) उद्देश्यवार वर्गीकरण	4
	(ग) वित्तीय आवश्यकताएं एवं वित्तीय संसाधनों का स्रोत	5
	परिशिष्ट – 1	
	(1) स्वीकृत, रिक्त तथा भरे हुए पदों का विवरण	6
	(2) प्रशासनिक ढांचा	7
	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	
3.	संक्षिप्त परिचय	8–9
4.	आयोजनागत/आयोजनेत्तर कार्यक्रमों की वर्ष 2014–15 व 2015–16 की भौतिक उपलब्धियाँ	10–14
5.	आयोजनागत/आयोजनेत्तर कार्यक्रमों की वर्ष 2014–15 व 2015–16 में वित्तीय प्रगति	15–18
6.	अन्य योजनाएं	19–20
7.	स्वरोजगार की स्थिति	21
8.	वर्ष 2016–17 में प्राविधानित आयोजनागत/आयोजनेत्तर योजनाओं का विवरण	22–30
9.	वर्ष 2015–16 की विशेष उपलब्धियाँ	31–32
10.	वित्तीय आवश्यकताएं	
	(क) वर्ष 2015–16 में बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली आयोजनागत/आयोजनेत्तर योजनाओं का विवरण	33–34
	(ख) उद्देश्यवार वर्गीकरण	35–36
	(ग) वित्तीय संसाधनों का स्रोत	37
	परिशिष्ट – 2	
11.	स्वीकृत, रिक्त तथा भरे हुए पदों का विवरण	38
12.	(क) प्रशासनिक ढांचा	39
	(ख) विभागीय योजनाओं का प्रशासनिक ढांचा	40

निदेशालय, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, उत्तर प्रदेश

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट 2016–2017

विभाग का अभ्युदय, विकास तथा उसके मूलभूत उद्देश्य

अभ्युदय

प्रदेश में कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों का प्रभावी संगठनात्मक ढॉचा प्रदान करने एवं खादी तथा ग्रामोद्योग सेक्टर से संबंधित उद्योगों की विशिष्ट समस्याओं के निराकरण हेतु निदेशालय की स्थापना शासनादेश संख्या 1880/18–10–184 (के0बी0)–86 टी0सी0 दिनांक 5 मई, 1987 द्वारा की गयी थी।

मूलभूत उद्देश्य

इस निदेशालय की स्थापना निम्न उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर की गयी :–

1. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों से संबंधित सांख्यकीय आधार (डाटा बेस) को सुदृढ़ करना तथा इन उद्योगों हेतु नीति निर्धारण में प्रदेश शासन को आवश्यक सहयोग देना।
2. प्रदेश में कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों के व्यापक तथा समन्वित विकास हेतु आवश्यक परियोजनाओं/योजनाओं की संरचना करना तथा कार्यान्वित की जाने वाली समस्त परियोजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण करना।
3. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण–वितरण करना तथा उसका सम्पूर्ण लेखा–जोखा रखना।
4. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों से संबंधित विभिन्न संस्थाओं/शासकीय विभागों से प्रभावी समन्वय स्थापित करना।
5. अन्य कार्य जो प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर आवंटित किये जायें।

गत वर्ष में किये गये प्रमुख कार्यों का संक्षिप्त विवरण

1. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों से संबंधित सांख्यकीय आधार को सुदृढ़ बनाया गया एवं ग्रामोद्योगों की नीति हेतु प्रदेश सरकार को आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया।
2. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण वितरण किया गया तथा उसका लेखा–जोखा रखा गया।
3. गत वर्षों के स्वीकृत धनराशि की पी0यू0सी0 शासन को प्रेषित कराने पर बल दिया गया।
4. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कतिपय खादी उत्पादन केन्द्रों/परिक्षेत्रीय कार्यालयों/जिला कार्यालयों का निरीक्षण किया गया एवं विकास कार्यों की समीक्षा की गई।
5. खादी बोर्ड द्वारा ग्रामोद्योगों के विकास हेतु वितरित धनराशि की वसूली सम्बन्धी कार्यों का अनुश्रवण किया गया।
6. खादी बोर्ड के कार्मिकों के जी0पी0एफ0 सम्बन्धी कार्यों का निस्तारण कोषागार के माध्यम से कराया गया।
7. खादी बोर्ड के सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन सम्बन्धी कार्यों का निस्तारण कोषागार के माध्यम से कराया गया।

<u>विकास के आगामी लक्ष्य तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित कार्यक्रम संबंधी विवरण</u>

1. खादी बोर्ड के पेंशनर्स को कोषागारों के माध्यम से जी0पी0एफ0 का वितरण कराया जाना।
2. खादी बोर्ड के सेवानिवृत्त कार्मिकों के अवकाश नकदीकरण का भुगतान कोषागार के माध्यम से कराया जाना।
3. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों हेतु प्रदेश शासन द्वारा निर्गत स्वीकृतियों की धनराशियों का आहरण वितरण करना एवं उनका लेखा–जोखा रखना।
4. प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

परिशिष्ट – 1

विभागीय पदों का गत तीन वर्षों का विवरण तथा विभागीय संगठन

इस निदेशालय का गठन केवल मुख्यालय के रूप में किया गया है। शासन द्वारा इस निदेशालय के मूलभूत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुल 16 अधिकारी/कर्मचारी के पद सृजित किये गये थे, जिनमें से संयुक्त निदेशक का पद बाद में समाप्त कर दिया गया है और आशुलिपिक का पद उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ को समर्पित कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 14 पद सृजित हैं। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ही इस निदेशालय का पदेन निदेशक नामित किया गया है तथा इस निदेशालय का कार्यालय भी खादी बोर्ड परिसर में ही स्थापित रखने का प्राविधान किया गया है।

विभागीय पदों का गत तीन वर्षों का विवरण

पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	2013–2014		2014–2015		2015–2016	
		भरे पद	रिक्त पद	भरे पद	रिक्त पद	भरे पद	रिक्त पद
निदेशक	01	01	-	01	-	01	-
सह निदेशक	01	01	-	01	-	01	-
लेखाधिकारी	01	01	-	01	-	01	-
कार्यालय अधीक्षक	01	01	-	01	-	01	-
वरिष्ठ सहायक	01	-	01	-	01	-	01
सम्प्रेक्षक	01	-	01	-	01	-	01
अन्वेषक कम संगणक	01	01	-	01	-	01	-
वरिष्ठ लिपिक	01	01	-	-	01	-	01
कनिष्ठ लिपिक	02	01	01	01	01	01	01
ड्राइवर	01	01	-	01	-	-	01
चपरासी	03	02	01	02	01	02	01
योग	**14**	**10**	**04**	**09**	**05**	**08**	**06**

विभागीय संगठन का चार्ट परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

संक्षिप्त परिचय

प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के चतुर्मुखी विकास के लिए उ0प्र0खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम 1960 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1960) के अन्तर्गत बोर्ड का गठन एक सलाहकार परिषद के रूप में हुआ था। तदोपरान्त उ0प्र0खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 1966 (अधिनियम सं0 64 सन् 1966) द्वारा बोर्ड को खादी तथा ग्रामोद्योग की योजनाओं को क्रियान्वित करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। इस प्रकार खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में पुनर्गठित हुआ तथा अप्रैल 1967 में उद्योग निदेशालय उ0प्र0 से समस्त खादी व ग्रामोद्योगी योजनाएं बोर्ड को स्थानान्तरित कर दीं गयीं।

बोर्ड का संगठनः– अधिनियम की धारा–5 उपधारा–1 के अन्तर्गत बोर्ड में पाँच सरकारी एवं सात गैरसरकारी सदस्य होते हैं। जुलाई 1984 में अधिनियम में संशोधन कर खादी ग्रामोद्योग मंत्री को बोर्ड का पदेन अध्यक्ष नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों में से एक को पूर्णकालिक उपाध्यक्ष नियुक्त किये जाने की भी व्यवस्था है।

सरकारी सदस्यों में निम्नलिखित नामित किये गये हैं:–

1–उ0प्र0 सरकार के खादी ग्रामोद्योग मंत्रीः–अध्यक्ष।

2–सचिव, उद्योग/कुटीर एवं खादी तथा ग्रामोद्योग उ0प्र0 शासन अथवा उनके नामित प्रतिनिधि।

3–सचिव, वित्त उ0प्र0 शासन अथवा उनके नामित प्रतिनिधि।

4–सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन अथवा उनके नामित प्रतिनिधि।

5–सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन अथवा उनके नामित प्रतिनिधि।

6–उद्योग निदेशक, उ0प्र0 अथवा उनके नामित प्रतिनिधि।

बोर्ड के उद्देश्य :– खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कम पूंजी निवेश वाले छोटे–छोटे उद्योगों की स्थापना के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन कराना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है।

वित्त पोषण हेतु अनुमन्य उद्योग धन्धे :– खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योगों को निम्न सात वर्गों में बाँटा गया है:–

1–कृषि आधारित उद्योग–खादी, मौनपालन, तेलघानी, गुड़–खाण्डसारी, अनाजदाल, जड़ी–बूटी, फल– प्रशोधन आदि।

2–खनिज आधारित उद्योग–कुम्हारी, चूना, पत्थर की वस्तुएं आदि।

3–वनाधारित उद्योग–हाथ कागज, माचिस/अगरबत्ती, लाख, बॉस–बेंत, कत्था, गोंद, रेजिन, आयुर्वेदिक दवाइयॉ, रेशा उद्योग आदि।

4–पॉलीमर तथा रसायन–अखाद्य तेल, साबुन, खाद्य तेल उत्पादन, रबर आधारित उद्योग, हाथी दॉत आदि।

5–यांत्रिक एवं वैकल्पिक उर्जा–लौह, काष्ठ, अल्यूमिनियम, तॉबें, पीतल आधारित उद्योग, कॉसे के बर्तन आदि।

6–वस्त्र उद्योग–सिलाई, पोलीवस्त्र, होजरी आदि।

7–सेवा उद्योग–धोबी, नाई, सौन्दर्य प्रसाधन केन्द्र, नलसाजी, बिजली उपकरण, आडियो तथा डीजल इंजन मरम्मत आदि।

<u>खादी तथा ग्रामोद्योग की परिभाषायें</u>:– ''खादी'' का तात्पर्य कपास, रेशम या ऊन के हाथ कते सूत अथवा इनमें से दो या सभी प्रकार के सूतों के मिश्रण से भारत में हथकरघे पर बुने गये किसी वस्त्र से है।

''ग्रामोद्योग'' का तात्पर्य किसी ऐसे उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हो तथा जो विद्युत के उपयोग या बिना उपयोग के कोई माल तैयार करता हो या कोई सेवा प्रदान करता हो तथा जिसमें स्थायी पूंजी निवेश (संयंत्र तथा मशीनरी एवं भूमि भवन में) प्रति कारीगर कर्मी पचास हजार रुपये से अधिक न हो, से है। ''ग्रामीण क्षेत्र'' का तात्पर्य समस्त राजस्व ग्राम तथा 20 हजार तक की आबादी वाले कस्बों से हैं।

<u>उद्यमियों का चयन</u>:– उद्यमियों के चयन हेतु शासनादेश सं0 665/59–2–2007–05(खा)/2000 दिनांक 11 जुलाई, 2007 द्वारा निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया गया है –

1. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी अथवा नामित प्रतिनिधि	–	अध्यक्ष
2. परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	–	उपाध्यक्ष
3. अग्रणी जिला बैंक प्रबन्धक	–	सदस्य
4. सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	–	सदस्य
5. जिला विकास प्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	–	सदस्य
6. जिला ग्रामोद्योग अधिकारी	–	सदस्य/सचिव।

; □□□

1– गांधी जयन्ती के अवसर पर खादी की बिक्री पर छूट

वर्ष 1960 में बोर्ड का गठन हुआ था तथा यह योजना 1967 में उद्योग निदेशालय से बोर्ड को स्थानान्तरित कर दी गयी है। इस योजना से प्रतिवर्ष लगभग 535 खादी की प्रमाणित संस्थायें लाभान्वित हो रही है तथा इन संस्थाओं के माध्यम से **लगभग 6.50 लाख ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निर्बल वर्ग की कतकर महिलायें एवं बुनकर अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं।** मा0 मंत्रिपरिषद के निर्णय के आधार पर गाँधी जयन्ती के अवसर पर 108 कार्यदिवस के लिए 10 प्रतिशत खादी एवं खादी के बने वस्त्रों पर रिबेट राज्य सेक्टर के आय–व्ययक से अनुमन्य किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु 108 कार्यदिवस के लिए रिबेट अनुमन्य किया गया है।

ज्ञातव्य हो कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार भी विपणन विकास सहायता योजनान्तर्गत खादी बिक्री पर छूट भारत सरकार के आय–व्ययक से अनुमन्य की जाती है। वर्ष 2010–11 से आयोग द्वारा विपणन विकास सहायता के अन्तर्गत पूरे वर्ष 20 प्रतिशत की छूट अनुमन्य की गई है। शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 में क्रमशः रू0 3711.73 लाख, रू0 2000.00 लाख एवं रू0 5460.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। जिससे विगत वर्षों के लम्बित रिबेट दावों का भुगतान किया गया।

2– विपणन विकास सहायता योजना

प्रदेश में बोर्ड की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत वित्तपोषित इकाईयों के उत्पादों के प्रदर्शन/विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विपणन विकास सहायता योजना प्रस्तावित की गयी है। जिसके माध्यम से प्रदेश की इकाईयों द्वारा उत्पादित उच्च गुणवत्ता के उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जायेंगी। वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस योजना हेतु अनुदान सं0–83 (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत रू0 237.50 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि रू0 237.50 लाख से प्रदेश के समस्त जनपदों के तहसील/ब्लाक स्तर पर योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु होर्डिग, जागरूकता शिविर एवं पम्पलेट के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है।

3– ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों का आयोजन

प्रदेश में कार्यरत खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों को प्रदर्शन एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, आचंलिक प्रदर्शनियों के साथ–साथ जनपद मुख्यालयों पर विभिन्न अवसरों पर लगने वाले मेलों में खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिससे प्रदेश के उद्यमियों को देश के अन्य राज्यों के उद्यमियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता एवं अन्य जानकारी प्राप्त हो सके तथा वे अपने उत्पादों में बाजार की माँग के अनुरूप सुधार कर सकें। वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस योजना हेतु रू0 80.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसमें 01 मण्डल स्तरीय प्रदर्शनी, बरेली मण्डल के अन्तर्गत जनपद–पीलीभीत में एवं एक वृहद प्रदर्शनी गोरखपुर मण्डल के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर में तथा 03 जनपद स्तरीय प्रदर्शनी, झांसी, मेरठ व कानपुरनगर में आयोजित की गयी। जिसमें खादी एवं ग्रामोद्योगी उत्पादों की लगभग माह जनवरी, 2016 तक रू0 1135.15 लाख की बिक्री की गयी। इसके अतिरिक्त लखनऊ जनपद में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी तथा माघ मेला इलाहाबाद मे राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया तथा लघु स्तरीय प्रदर्शनी जनपद–अमेठी, चन्दौली एवं भदोही (संत रविदासनगर) में किया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान, रायबरेली के माध्यम से खादी उत्पादों के विकास हेतु मानिकीकरण, डिजाइन विकास, खादी फैब्रिक्स का स्वाचकार्ड विकसित करने से संबन्धित शोध, प्रचार–प्रसार का कार्य कराया गया।

4– उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय

ग्रामोद्योग को सफल बनाने हेतु उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करना आवश्यक है, ताकि ग्रामोद्योगी उत्पाद प्रतियोगिता में उचित स्थान बना सकें। ग्रामीण उद्यमी को जब तक गुणवत्ता नियंत्रण के महत्व की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जायेगी तथा उत्पाद की टेस्टिंग की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी तब तक उक्त कार्य सम्भव नहीं है, जो कि ग्रामोद्योग को सफल बनाने की कुन्जी हैं।

इसी उद्देश्य से खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 1988–89 में दो गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं क्रमशः लखनऊ एवं खजनी– गोरखपुर में स्थापित की गयीं। जिनके द्वारा ग्रामोद्योगी इकाइयों से सैम्पुल एकत्र करना एवं आवश्यक तकनीकी सुझाव देना, गुणवत्ता सम्बन्धी जानकारी देना, समय–समय पर गॉव/ब्लाक/जनपद स्तर पर गुणवत्ता जागरूकता कैम्प आयोजित करना आदि कार्य किये जा रहे हैं, साथ ही ग्रामीण उद्यमियों को गुणवत्ता नियंत्रण का प्रशिक्षण भी देने का कार्य किया जा रहा है, ताकि उत्पादन के समय भी वह गुणवत्ता नियंत्रित करते हुए उच्चकोटि का उत्पादन करने में सक्षम हो सकें।

ग्रामोद्योगी इकाइयों के उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का कार्य बोर्ड की गोरखपुर एवं लखनऊ प्रयोगशाला द्वारा किया जा रहा है।

ग्लोबलाइजेशन के युग में ग्रामोद्योगी इकाइयों के उत्पादों का मार्केट प्रतिस्पर्धा में अपना उचित स्थान बनाये रखने के लिए गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की नितान्त आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बोर्ड की प्रयोगशालाओं द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं:–

1. **सैम्पुल का परीक्षणः–** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामोद्योगी इकाइयों के सैम्पुल के परीक्षण के साथ–साथ इकाइयों के उत्पादों का मानकीकरण की जानकारी भी दी जाती है।
2. **प्रौद्योगिकी हस्तान्तरणः–** अधिकांशतः ऐसा देखा गया है कि ग्रामीण उद्यमी नवीनतम तकनीकी जानकारी न होने के कारण पुरानी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते रहते हैं जिससे उन्हें वांछित लाभ नहीं मिल पाता है। प्रयोगशाला विभिन्न क्षेत्र में विकसित नयी तकनीक ग्रामीण उद्यमियों तक पहुँचाने के लिए एक माध्यम का कार्य करेगी जिसके लिए उद्यमी को इधर–उधर भटकना नहीं पड़ेगा।
3. **गुणवत्ता जागरूकता कार्यक्रमः–** उद्यमियों को ग्रामोद्योगी उत्पादों की गुणवत्ता एवं मानकीकरण के प्रति जागरूक करने के लिए गुणवत्ता जागरूकता शिविर गाँव/ब्लाक/जनपद स्तर पर आयोजित किये जाते है ताकि ग्रामोद्योगी उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

वर्ष 2014–15 में प्रयोगशाला द्वारा किये गये कार्य की प्रगति–

क्र0सं0	गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का नाम	कार्य का विवरण	संख्या
1.	डालीगंज, लखनऊ	(1) टेस्टेड सैम्पुल	66
		(2) उत्पाद विकास, मानकीकरण	03
		(3) उत्पाद विकास मानकीकरण में टेक्निकल ट्रेनिंग	10
		(4) प्रौद्योगिकी हस्तानान्तरण कार्यशाला	08
2.	खजनी, गोरखपुर	(1) टेस्टेड सैम्पुल	64

वर्ष 2015–16 (माह जनवरी, 2016 तक) में प्रयोगशाला द्वारा किये गये कार्य की प्रगति :–

क्र0सं0	गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का नाम	कार्य का विवरण	संख्या
1.	डालीगंज, लखनऊ	(1) टेस्टेड सैम्पुल	50
		(2) पॉच दिवसीय टेक्निकल ट्रेनिंग (सत्र)	05
		(3) प्रौद्योगिकी हस्तानान्तरण कार्यशाला	01
2.	खजनी, गोरखपुर	(1) टेस्टेड सैम्पुल	40

वित्तीय वर्ष 2016–17 में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला डालीगंज, लखनऊ एवं खजनी गोरखपुर द्वारा 250 सेम्पुल परीक्षण, 10 उत्पाद विकास मानिकीकरण में पॉच दिवसीय टेक्निकल ट्रेनिंग एव 03 प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण कार्यशाला कराये जाने का लक्ष्य है।

5– मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग योजना (जिला सेक्टर) :–

राज्य सरकार की जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन करने हेतु व्यक्तिगत उद्यमशीलता के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना वर्ष 1994–95 से शुरू की गई है।

इस योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/पालीटेक्निक द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों तथा शासन की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों, स्वरोजगार में रूचि रखने वाली महिलाओं एवं व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय लेकर उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस योजना के पात्र हैं।

योजना की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में कर निबन्धन की अधिसूचना संख्या 224(बी)/क0नि0–6/2015–20 बी(57/10) दिनांक 04 अगस्त, 2015 के द्वारा योजना की अवधि 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दी गई है।

योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :–

1. **योजनान्तर्गत ऋण की अधिकतम सीमा रू0 10.00 लाख कर दी गई है।**
2. सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों द्वारा बैंक ऋण पर मात्र 4 प्रतिशत ब्याज वहन किया जायेगा शेष ब्याज की राशि योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।
3. **आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं) को जिला योजना के अन्तर्गत ऋण पर ब्याज की पूर्ण धनराशि पर ब्याज उपादान (ब्याज रहित ऋण) के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।**
4. शासन द्वारा कुल स्वीकृत धनराशि का 1–1–1 प्रतिशत क्रमशः जागरूकता शिविर, प्रचार–प्रसार, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए प्राविधानित होगा।
5. योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को भौतिक लक्ष्य में 20 प्रतिशत मात्राकृत करते हुए आच्छादित किया गया है।

चूंकि योजनान्तर्गत अधिकतम ऋण सीमा रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर 10.00 लाख कर दी गई है, जिससे दो गुना पूंजीनिवेश करते हुए उद्योगों की स्थापना कराई जायेगी। प्रति इकाई औसत पूंजीनिवेश रू0 2.00 लाख से बढ़कर रू0 4.50 लाख होने का अनुमान है। साथ ही योजनान्तर्गत आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों हेतु सम्पूर्ण ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में शासन द्वारा अनुमन्य की जायेगी, जिसके लिए ब्याज उपादान के रूप में अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी। वित्तीय वर्ष 2016–17 में लगभग 3000 उद्यमियों को लाभान्वित कराते हुए लगभग 60000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

12वीं पंचवर्षीय योजना वित्तीय वर्ष 2012–13 से सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु योजना आयोजनेत्तर मद में स्थानान्तरित कर दी गई है, जबकि एस0सी0एस0पी एवं टी0एस0पी0 के अन्तर्गत योजना आयोजनागत मद में ही संचालित है।

मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत विगत वर्षों की उपलब्धियाँ निम्न प्रकार हैं:–

वर्ष	इकाई संख्या	वित्त पोषित धन0 (करोड़ रू0में)	रोजगार संख्या
2014-2015	1536	74.63	29992
2015-2016 (माह जनवरी, 2016 तक)	909	44.31	17722

6– खादी एवं कम्बल उत्पादन केन्द्रो का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण

बोर्ड द्वारा खादी विकास योजना के अन्तर्गत 14 खादी उत्पादन केन्द्र हैं। इसी प्रकार कम्बल योजना के अन्तर्गत 8 कम्बल कारखाने/उत्पादन केन्द्र हैं, मशीनें एवं उपकरण काफी पुराने तथा पुरानी तकनीकी के हैं, जिसके कारण उत्पादन केन्द्रों का उत्पादन अपनी पूर्ण क्षमता से नहीं हो पा रहा है साथ ही इन उत्पादन केन्द्रों पर कच्चे माल एवं रिवाल्विंग फण्ड का भी अभाव है। उत्पादन केन्द्रों द्वारा अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य कराये जाने हेतु इन उत्पादन केन्द्रों को आधुनिक उपकरणों से इनके नवीनीकरण का प्रस्ताव रखा गया था। वित्तीय वर्ष 2014–15 में इस योजना हेतु शासन द्वारा धनराशि रू0 60.00 लाख प्राविधानित किया गया था जिससे बोर्ड द्वारा संचालित कम्बल कारखाना गोपीगंज भदोही के सुदृढीकरण, खादी उत्पादन केन्द्रों का सुदृढीकरण एवं कम्बल उत्पादन केन्द्र आदिलाबाद गाजीपुर के सुदृढीकरण का कार्य कराया गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 में शासन द्वारा इस योजना हेतु रू0 30.55 लाख का प्राविधान किया गया, जिसके सापेक्ष रू0 15.27 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है जिससे कम्बल कारखाना गोपीगंज के बुनाई शेड आदि का निर्माण/मरम्मत कराया गया। अवशेष धनराशि रू0 15.28 लाख से कम्बल कारखाना गोपीगंज, भदोही में 45 के0बी0ए0 के जनरेटर की स्थापना, कम्बल उत्पादन केन्द्र आदिलाबाद गाजीपुर के भवन मरम्मत एवं खादी उत्पादन केन्द्र मधुबन मऊ पर उपलब्ध चरखों की मरम्मत आदि का कार्य कराया जायेगा। खादी एवं कम्बल योजना की गत वर्षों की प्रगति निम्नवत् है –

(क) कम्बल योजना:– प्रदेश के पिछड़े सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कत्तिनों एवं बुनकरों को जीविका के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। यह योजना उद्योग निदेशालय द्वारा वर्ष 1954 में प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र के रूप में मुजफ्फरनगर नजीबाबाद (बिजनौर), मिर्जापुर तथा गोपीगंज (भदोही) में प्रारम्भ की गयी थीं। कालान्तर में इन केन्द्रों को कारखाने का स्वरूप प्रदान किया गया। वर्ष 1967 में यह योजना उद्योग निदेशालय से बोर्ड को हस्तान्तरित हुई। बोर्ड ने विस्तार स्वरूप दो उत्पादन केन्द्रों की स्थापना क्रमशः जौनपुर और अदिलाबाद (गाजीपुर) में की। साथ ही वर्ष 1984–85 में दो नये कारखानों की स्थापना क्रमशः खजनी (गोरखपुर) तथा टीकरमाफी (सुल्तानपुर) में हुई। बोर्ड में 8 कम्बल कारखानों/उत्पादन केन्द्रों की स्थापना 1954 में की गयी थीं। इस प्रकार वर्तमान समय में इसके अन्तर्गत छः कारखाने एवं दो उत्पादन केन्द्र हैं। इस समय कारखानों में उत्पादन नहीं हो रहा है। अधिकांशतः मशीनें एवं उपकरण पुराने हो गये हैं जो कि आज के आधुनिक परिवेश के मुताबिक कम्बल उत्पादन करने में सक्षम नहीं हैं। बोर्ड द्वारा प्रथम अवस्था में बोर्ड की विभागीय कम्बल कारखाना गोपीगंज, संतरविदास नगर भदोही का सुदृढ़ीकरण कराकर उत्पादन योग्य बनाया जा रहा है।

(ख) खादी योजना:– खादी योजना वर्ष 1967 से बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है। खादी योजना के माध्यम से समाज के असहाय बेरोजगार एवं विकलांग व्यक्तियों को कम पूँजी निवेश से रोजगार सृजन के स्रोत उपलब्ध कराना है। वर्तमान समय में अधिक गुणवत्ता उत्पादन के लिए दो तकला, छः तकला, आठ तकला एवं बारह तकला न्यू माडल चर्खों पर सूत कताई योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है।

भौतिक प्रगति

बोर्ड की वित्तपोषित संस्थाओं की प्रगति (लाख रूपये में)

वर्ष	उत्पादन	फुटकर बिक्री	थोक बिक्री	रोजगार (इकाई में)
2014-2015	8524.45	9429.70	1560.88	96565
2015-2016 (माह जनवरी, 2016 तक)	9120.10	9995.35	1615.27	104290

बोर्ड के विभागीय उत्पादन केन्द्रों की प्रगति (लाख रूपये में)

वर्ष	उत्पादन	बिक्री	रोजगार (इकाई में)
2014-2015	54.90	46.89	1945
2015-2016 (माह जनवरी, 2016 तक)	23.66	41.66	1945

7– ई–गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी

शासन की ई–गवर्नेन्स पद्धति को बढ़ावा देने की नीति के अन्तर्गत उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के सम्बन्ध में जनसाधारण को जानकारी उपलब्ध कराने, इण्टरनेट के माध्यम से सूचनाओं के आदान–प्रदान, योजनाओं की समीक्षा, अनुश्रवण, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, लेखा का रख–रखाव का डिजिटाइजेशन आदि कार्य के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु ''ई–गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन ऐण्ड कनेक्टिविटी'' प्रस्तावित की गयी थी। समस्त जिला ग्रामोद्योग कार्यालयों एवं परिक्षेत्र कार्यालयों में कम्प्यूटरों की स्थापना करायी जा चुकी है। बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के वेब–बेस्ड साफ्टवेयरों का विकास कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू0 10.00 लाख का प्राविधान किया गया था जिसके अन्तर्गत उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की वेवसाइट का रख–रखाव एवं प्रदेश के जनपदीय कार्यालयों में स्थापित समस्त हार्डवेयर उपकरणों का रख–रखाव स्थानीय स्तर पर कराया गया तथा यू0पी0 डेस्कों से मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना/बजट तथा पे रोल साफ्टवेयरों पर आन लाइन उपयोग सुनिश्चित करने के दृष्टिगत वार्षिक अनुरक्षण कराया गया एवं कम्प्यूटर कार्यों के महत्वपूर्ण डाटा की सुरक्षा हेतु सभी कम्प्यूटरों पर एन्टीवायरस्स लोड कराये गये एवं मुख्यालय पर लीज लाइन किराये का भुगतान एवं नेटवर्किंग से संबन्धित अनुरक्षण कार्य कराया गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 10.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष रू0 5.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है जिसके अन्तर्गत मुख्यालय पर स्थापित लीज लाइन के किराये का भुगतान बी0एस0एन0एल0 को किया गया तथा जनपदीय कार्यालयों में स्थापित कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों का स्थानीय स्तर पर रख–रखाव सुनिश्चित करने हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी है । अवशेष रू0 5.00 लाख से आनलाइन डोमेन नवीनीकरण, मुख्यालय एवं जनपदों में संचालित वेब–वेस्ट साफ्टवेयरों पैकजों का अनुरक्षण, कम्प्यूटर डाटा सुरक्षा हेतु एन्टीवायरस क्रय तथा नेटवर्किंग के उपकरणों का अनुरक्षण कार्य कराया जाना है।

8– कौशल सुधार एवं प्रशिक्षण योजना

ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों, परम्परागत कारीगरों को उनके कौशल में सुधार लाने हेतु प्रशिक्षण तथा नवीनतम तकनीक के उपकरणों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 15 दिवसीय कौशल सुधार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ताकि उद्यमी बैंक से वित्तपोषण कराकर या स्वयं के श्रोतों से स्वरोजगार स्थापित कर जीवन यापन कर सकें। वर्ष 2014–15 में योजनान्तर्गत सामान्य मद अनुदान संख्या–5 के अन्तर्गत रु0 75.00 लाख, टी0एस0पी0 मद अनुदान संख्या–81 के अन्तर्गत रू0 0.75 लाख एवं एस0सी0एस0पी0 मद अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत रू0 150.00 लाख कुल रू0 225.75 लाख के सापेक्ष 225 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराकर 5644 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2015–16 में योजनान्तर्गत सामान्य मद अनुदान संख्या–5 के अन्तर्गत रु0 75.00 लाख, टी0एस0पी0 अनुदान संख्या–81 के अन्तर्गत रू0 1.00 लाख एवं एस0सी0एस0पी0 अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत रू0 150.00 लाख कुल रू0 226.00 लाख के सापेक्ष माह जनवरी, 2016 तक 191 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराकर 4775 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

आयोजनागत मद हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में विभिन्न योजनाओं में बजट प्राविधान, जारी स्वीकृति एवं व्यय

सामान्य मद (अनुदान सं0–05) (धनराशि रुपये हजार में)

क्र. सं.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2014–15			वित्तीय वर्ष 2015–16		
		बजट प्राविधान	स्वीकृतियाँ	व्यय	बजट प्राविधान	स्वीकृतियाँ	व्यय
1.	गांधी जयन्ती के अवसर पर खादी की बिक्री पर छूट	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00
2.	खादी एवं कम्बल उत्पादन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण	6000.00	6000.00	6000.00	3055.00	3055.00	1527.00
3.	प्रशिक्षण केन्द्रों की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	6357.00	6263.00	6263.00	0.00	0.00	0.00
4.	प्रशिक्षण केन्द्रों में अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण	6000.00	6000.00	6000.00	5000.00	5000.00	5000.00
5.	खादी उत्पादन केन्द्र, खजनी– गोरखपुर हेतु वर्कशेड एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	6000.00	6000.00	6000.00	6765.00	6765.00	6765.00
6.	उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के नवीन भवन निर्माण हेतु ब्याज रहित ऋण	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00
7	गांधी जयन्ती के अवसर पर खादी बिक्री पर छूट के लम्बित दावों का भुगतान	0.00	0.00	0.00	346000.00	346000.00	160424.00
8	खादी बिक्री केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए रिवाल्विंग फण्ड हेतु सहायता	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00
9	मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लम्बित दावों का भुगतान	0.00	0.00	0.00	80000.00	80000.00	21502.00
	योग आयोजनागत	**224357.00**	**224263.00**	**224263.00**	**745820.00**	**640820.00**	**395218.00**

आयोजनेत्तर मद हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में विभिन्न योजनाओं में बजट प्राविधान, जारी स्वीकृति एवं व्यय

अनुदान सं0–05 (धनराशि रुपये हजार में)

क्र. सं.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2014–15			वित्तीय वर्ष 2015–16		
		बजट प्राविधान	स्वीकृतियाँ	व्यय	बजट प्राविधान	स्वीकृतियाँ	व्यय
1.	व्यवहारिक प्रशिक्षण योजना	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	3500.00
2.	ग्रामीण उद्यमियों को पुरस्कार योजना	500.00	500.00	500.00	550.00	550.00	550.00
3.	जनश्री बीमा योजना	1600.00	1600.00	1591.00	1600.00	1600.00	800.00
4.	ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों का आयोजन	7500.00	7500.00	7500.00	8000.00	8000.00	7320.00
5.	मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना	160000.00	160000.00	160000.00	180000.00	180000.00	106950.00
6.	ई–गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिीविटी	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	500.00	498.00
7.	उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय	1750.00	1750.00	1750.00	1750.00	1750.00	1750.00
8.	कौशल सुधार प्रशिक्षण	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	6000.00
	योग आयोजनेत्तर	**184850.00**	**184850.00**	**184841.00**	**205400.00**	**204900.00**	**127368.00**
योग आयोजनागत		**224357.00**	**224263.00**	**224263.00**	**745820.00**	**640820.00**	**395219.00**
योग आयोजनागत+आयोजनेत्तर		**409207.00**	**409113.00**	**409104.00**	**951220.00**	**845720.00**	**522587.00**

12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 संचालित योजनाओं का विवरण

आयोजनागत मद हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभिन्न योजनाओं में बजट प्राविधान, जारी स्वीकृति एवं व्यय

अनुदान संख्या – 05 (धनराशि रु0 हजार में)

योजनाएं	बजट प्राविधान	जारी स्वीकृतियाँ	व्यय
1	2	3	4
(क) राज्य सेक्टर			
1. गांधी जयन्ती के अवसर पर खादी की बिक्री पर छूट	200000.00	200000.00	200000.00
2. खादी एवं कम्बल उत्पादन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण	3055.00	3055.00	1527.00
3 प्रशिक्षण केन्द्रों में अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण	5000.00	5000.00	5000.00
4..खादी उत्पादन केन्द्र, खजनी– गोरखपुर हेतु वर्कशेड एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	6765.00	6765.00	6765.00
5 उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के नवीन भवन निर्माण हेतु ब्याज रहित ऋण	100000.00	0.00	0.00
6.गांधी जयन्ती के अवसर पर खादी बिक्री पर छूट के लम्बित दावों का भुगतान	346000.00	346000.00	160424.00
7.खादी बिक्री केन्द्रों के सुदृढीकरण के लिए रिवाल्विंग फण्ड हेतु सहायता	5000.00	0.00	0.00
8. मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लम्बित दावों का भुगतान	80000.00	80000.00	21502.00
योग : राज्य सेक्टर	**745820.00**	**640820.00**	**395218.00**

आयोजनेत्तर मद हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभिन्न योजनाओं में बजट प्राविधान, जारी स्वीकृति एवं व्यय

(धनराशि रु0 हजार में)

योजनाएं	बजट प्राविधान	जारी स्वीकृतियाँ	व्यय
1			
1. व्यवहारिक प्रशिक्षण	5000.00	5000.00	3500.00
2. ग्रामीण उद्यमियों को पुरस्कार योजना	550.00	550.00	550.00
3. जनश्री बीमा योजना	1600.00	1600.00	800.00
4. ग्रामोद्योगी प्रदर्शनी का आयोजन	8000.00	8000.00	7320.00
5. उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय	1750.00	1750.00	1750.00
6. कौशल सुधार प्रशिक्षण	7500.00	7500.00	6000.00
7. ई–गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी	1000.00	500.00	498.00
8. मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना	180000.00	180000.00	106950.00
योग	**205400.00**	**204900.00**	**127368.00**

आयोजनागत मद हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभिन्न योजनाओं में बजट प्राविधान, जारी स्वीकृति एवं व्यय

टी0एस0पी0 अनुदान संख्या – 81 (धनराशि रु0 हजार में)

योजनाएं	बजट प्राविधान	जारी स्वीकृतियाँ	व्यय
1	2	3	4
(क) राज्य सेक्टर			
1. कौशल सुधार एवं प्रशिक्षण	100.00	100.00	100.00
योग : राज्य सेक्टर	**100.00**	**100.00**	**100.00**
(ख) जिला सेक्टर			
1. मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना	250.00	125.00	125.00
योग : जिला सेक्टर	**250.00**	**125.00**	**125.00**
महायोग : (राज्य+जिला)	**350.00**	**225.00**	**225.00**

आयोजनागत मद हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभिन्न योजनाओं में बजट प्राविधान, जारी स्वीकृति एवं व्यय

एस0सी0एस0पी0 अनुदान संख्या – 83 (धनराशि रु0 हजार में)

(क) राज्य सेक्टर			
1. कौशल सुधार–प्रशिक्षण योजना	15000.00	15000.00	12000.00
2. विपणन विकास सहायता कार्यक्रम	23750.00	23750.00	16135.00
3. उत्पाद विकास एवं मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय	880.00	880.00	880.00
योग : राज्य सेक्टर	**39630.00**	**39630.00**	**29015.00**
(ख) जिला सेक्टर			
1. मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना	25500.00	25500.00	14229.00
योग : जिला सेक्टर	**25500.00**	**25500.00**	**14229.00**
महायोग : (राज्य+जिला)	**65130.00**	**65130.00**	**43244.00**

अन्य योजनाएं

• आयोजनेत्तर

1– व्यावहारिक प्रशिक्षण योजना (आयोजेनत्तर) :–

ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यमियों का चयन प्रचार प्रसार करके किया जाता है, उसके उपरान्त उनको स्थानीय तौर पर ही 15 दिन का ग्रामोद्योगी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसके अन्तर्गत उद्यमी उत्प्रेरणा, रोजगार चयन, वित्त पोषण प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण, विपणन, आदि उद्योग स्थापना से सम्बन्धित बिन्दुओं पर क्लासरूम प्रशिक्षण एवं क्रियात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण उपरान्त मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत इनका वित्तपोषण करके ग्रामोद्योगी इकाई स्थापित करायी जाती है। व्यावहारिक प्रशिक्षण योजना हेतु रू0 50.00 लाख की धनराशि आयोजनेत्तर मद में शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जिससे 1250 व्यक्तियों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 50.00 लाख का प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष 1250 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

2– ग्रामीण उद्यमियों की पुरस्कार योजना :–

ग्रामीण उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए उक्त योजना संचालित की गयी है। जिसके अन्तर्गत अच्छी ग्रामोद्योगी इकाईयों के प्रतिनिधि को मण्डल स्तरीय कमेटी से चयन के उपरान्त पुरस्कृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में धनराशि रू0 5.50 लाख का प्राविधान किया गया है, जिसमें कि प्रदेश के 03 उत्कृष्ठ उद्यमियों एवं प्रदेश के समस्त 18 मण्डलों के उत्कृष्ठ उद्यमियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया ।

3– जनश्री बीमा योजना :–

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत परम्परागत कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों को जनश्री बीमा योजनान्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना प्रस्तावित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में इस योजना हेतु रू0 16.00 लाख का प्राविधान किया गया है जिसमें कि रू0 15.91 लाख का व्यय करते हुए 127283 खादी कामगारों को आच्छादित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस योजना हेतु रू0 16.00 लाख का प्राविधान किया गया है जिससे कि 128000 खादी कामगारों को आच्छादित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 135130 खादी कामगारों को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है।

सहकारिता योजना (विभागीय)

1 सहकारिता का मुख्य उद्देश्य उ0प्र0सहकारी अधिनियम 1965 की धारा–7 के अन्तर्गत समिति का गठन कराकर सहकारी सिद्धान्तों के अनुसार सदस्यों के आर्थिक हितों की उन्नति के लिए उद्योग को चलाना, उद्योग से सम्बन्धित कच्चा माल तथा सामान बनाने में प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को प्राप्त करना एवं उत्पादन हेतु देना है।

2 सदस्यों के लिए वर्कशाप, गोदाम आदि बनवाना एवं किराये पर लेना।

3 उत्पादित माल की उचित मूल्य पर बिक्री का प्रबन्ध करना।

4 सदस्यों में मितव्ययिता की भावना को प्रोत्साहन देना तथा उसके लिए आवश्यक योजनाएं बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना।

5 समिति द्वारा संचालित उद्योगों, हेतु उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूॅंजी का प्रबन्ध करना जैसे–बैंक,राज्य सरकार,खादी आयोग, उ0प्र0खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड व अन्य संस्थाओं एवं व्यक्तियों से ऋण तथा अमानतें प्राप्त करना।

उपरोक्त के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–2015 में 67 समितियों का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह जनवरी, 2016 तक 05 समितियों का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 50 समितियों के गठन का लक्ष्य निर्धारित है।

• खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :-

यह योजना खादी और ग्रामाद्योग आयोग द्वारा 15 अगस्त, 2008 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना को उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत रू0 25.00 लाख तक परियोजना लागत के उद्यमों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में करने हेतु बैंकों के माध्यम से बेराजगार व्यक्तियों/संस्थाओं/समितियों को ऋण स्वीकृत कराया जाता है।

परियोजना लागत पर सामान्य (पुरूष) वर्ग के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है जो इकाई के सफल संचालन के उपरान्त तीन वर्ष में अनुदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाओं, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को 35 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) उपलब्ध कराने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त सामान्य (पुरूष) वर्ग के उद्यमियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाओं, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को 5 प्रतिशत अंशदान स्वयं वहन करना होता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस योजनान्तर्गत रू0 160.91 करोड़ के पूंजी निवेश से 1495 इकाईयों की स्थापना कराकर 14950 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 में माह जनवरी, 2016 तक रू0 115.42 करोड़ के पूंजी निवेश से 1298 इकाईयों की स्थापना कराकर 12980 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू0 119.41 करोड़ के पूंजीनिवेश से 1793 इकाईयों की स्थापना कराते हुए 14344 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

इस योजनान्तर्गत स्थापित इकाइयों, वितरित ऋण एवं रोजगार सृजन की स्थिति निम्नवत है:-

वर्ष	स्थापित इकाइयों की संख्या	वितरित ऋण (करोड़ रू0में)	रोजगार सृजन
2014-2015	1495	160.91	14950
2015-2016 (माह जनवरी,2016 तक)	1298	115.42	12980

2- ऋण की वसूली:- विगत वर्षों में बोर्ड द्वारा आयोग फण्ड एवं कन्शोर्सियम बैंक ऋण योजना के अन्तर्गत बाँटे गये ऋणों की वसूली वर्ष 2015-16 में विशेष अभियान चलाकर किया गया। विभिन्न वर्षों में वसूली विवरण निम्नवत् है-

(लाख रुपये में)

वर्ष	आयोग ऋण	कन्सोर्शियम ऋण	योग
2014-2015	241.94	387.36	629.30
2015-2016 (माह जनवरी,2016 तक)	85.10	183.08	268.18

स्वरोजगार सृजन की स्थिति

वर्ष 2014-2015 में स्वरोजगार का विवरण

क्र0 सं0	योजना का नाम	ऋण की0 धन0 (करोड़ रु0 में)	स्थापित इकाइयाँ (संख्या में)	सम्भावित रोजगार सृजन (संख्या में)
1.	मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना	74.63	1536	29922
2.	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	160.91	1495	14950
	योग	**235.54**	**3031**	**44872**

वर्ष 2015-2016 में माह जनवरी, 2016तक स्वरोजगार का विवरण

क्र0 सं0	योजना का नाम	ऋण की0 धन0 (करोड़ रु0 में)	स्थापित इकाइयाँ संख्या में	सम्भावित रोजगार सृजन (संख्या में)
1.	मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना	44.31	909	17722
2.	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	115.42	1298	12980
	योग	**159.73**	**2207**	**30702**

वर्ष 2016-2017 में स्वरोजगार का लक्ष्य

क्र0 सं0	योजना का नाम	ऋण की0 धन0 (करोड़ रु0 में)	स्थापित इकाइयाँ संख्या में	सम्भावित रोजगार सृजन (संख्या में)
1.	मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना	150.00	3000	60000
2.	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	119.41	1793	14344
	योग	**269.41**	**4793**	**74344**

इस प्रकार वर्ष 2016-2017 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के लिए 269.41 करोड़ रु0 का पूँजीनिवेश से 4793 इकाईयों की स्थापना कराई जायेगी जिसके माध्यम से 74344 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

वर्ष 2016–2017 में बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली आयोजनागत/आयोजनेत्तर योजनाओं अनुदान सं0–05 का विवरणः–

(धनराशि रुपये हजार में)

क्र.सं.	योजना का नाम	आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2016–17 (आयोजनागत)	आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2016–17 (आयोजनेत्तर)	योजना के मुख्य बिन्दु
1	2	3	4	5
राज्य सेक्टर				
1.	**श्री गाँधी जयन्ती के अवसर पर खादी बिक्री पर छूट**	200000.00		वर्ष 1960 में बोर्ड का गठन हुआ था तथा यह योजना 1967 में उद्योग निदेशालय से बोर्ड को स्थानान्तरित कर ली गयी है। इस योजना से प्रतिवर्ष लगभग 535 से अधिक खादी की प्रमाणित संस्थायें लाभान्वित हो रही हैं तथा इन संस्थाओं के माध्यम से लगभग 6.50 लाख ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निर्बल वर्ग की कतकर महिलायें एवं बुनकर अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मा0 मंत्रिपरिषद के निर्णय के आधार पर गाँधी जयन्ती के अवसर पर 108 कार्यदिवस के लिए 10 प्रतिशत खादी एवं खादी के बने वस्त्रों पर रिबेट राज्य सेक्टर के आय–व्ययक से अनुमन्य किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु 108 कार्यदिवस के लिए रिबेट अनुमन्य किया गया है। शासन द्वारा वर्ष 2014–15 में रू0 2000.00 लाख का प्राविधान किया गया था जिससे वर्ष 2013–14 के रिबेट दावों का भुगतान किया गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 5460.00 लाख का प्राविधान किया गया है जिसके अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के रिवेट दावों के भुगतान हेतु रू0 2000.00 लाख एवं गत वर्षो के लम्बित दावों के भुगतान हेतु रू0 3460.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में वित्तीय वर्ष 2015–16 के रिबेट दावों के भुगतान हेतु रू0 2000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
2.	**खादी एवं कम्बल उत्पादन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण**	3055.00		उ0प्र0खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी विकास योजना के अन्तर्गत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर से निर्भरता समाप्त करने हेतु 14 खादी उत्पादन केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है तथा वर्तमान समय में केन्द्रों पर उपलब्ध चरखे पूर्णतया जीर्ण–शीर्ण एवं निष्प्रयोज्य हो चुके हैं जिनकी उत्पादन क्षमता लगभग नगण्य हो चुकी है। उत्पादन क्षमता में कमी आने के कारण इस उद्योग में लगे हुए कतकरों/बुनकरों का जीवन यापन सीधे प्रभावित हो रहा है। विभागीय खादी उत्पादन केन्द्रों को सुचारू रूप से चलाकर सम्बद्ध खादी के कतकरों/बुनकरो को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये इन केन्द्रों का आधुनिकीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है तथा विभागीय कम्बल योजना में कुल छः कारखाने एवं 2 उत्पादन केन्द्र हैं। बोर्ड द्वारा संचालित कम्बल कारखाने एवं उत्पादन सन् 1950 से 1960 की अवधि के हैं तथा मशीन उपकरण एवं वर्कशेड/तैयार माल के स्टोर बहुत ही पुराने हो चुके हैं। तैयार माल हेतु बने स्टाक गोदाम की स्थिति अत्यन्त खराब है। कम्बल कारखानों पर अच्छी गुणवत्ता के कम्बलों का कम लागत में उत्पादन हों। इसके लिये कम्बल योजना के उपरोक्त कम्बल कारखानों/उत्पादन केन्द्रों पर जीर्णोद्धार /उच्चीकरण कराया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु रु0 30.55 लाख का बजट प्राविधान किया गया था जिसमें कि रू0 30.55 लाख की धनराशि से बोर्ड द्वारा संचालित कम्बल कारखाना गोपीगंज, भदोही के बुनाईशेड का निर्माण/मरम्मत तथा 45 के0बी0ए0 का जनरेटर एवं कम्बल उत्पादन केन्द्र आदिलाबाद गाजीपुर के भवन मरम्मत एवं खादी उत्पादन केन्द्र मधुबन मऊ में उपलब्ध चरखों के मरम्मत आदि का कार्य कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 30.55 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

3	**प्रशिक्षण केन्द्रों में अवस्थापना सुविधाबओं का सुदृढ़ीकरण**	5000.00		प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों, परम्परागत कारीगरों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में 10 मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना वर्ष 1987–88 में की गई थीं। वर्तमान में केन्द्रों पर अवस्थापना सुविधाओं का अभाव होने के कारण गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने में कठिनाई आ रहीं है। इन केन्द्रों पर उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण, आधुनिक व्याख्यान कक्ष, नवीन उपकरण आदि उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु रू0 50.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है जिससे कि प्रथम अवस्था में प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्रशिक्षण केन्द्र आजमगढ़ में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण, ब्याख्यान कक्ष, नवीन उपकरण आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। शासन द्वारा अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों के अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण आदि कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 50.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
4	**खादी उत्पादन केन्द्र, खजनी–गोरखपुर हेतु वर्कशेड एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण**	5869.00		बोर्ड के विभागीय खादी उत्पादन केन्द्र, खजनी–गोरखपुर में उपलब्ध 2.675 हेक्टेयर भूमि पर वर्कशेड/बाउण्ड्रीवाल न होने के कारण कत्तिनों के लिए कार्य करना कठिन कार्य है। साथ ही शासकीय धन से क्रय किये गये उपकरणों एवं सरकारी भूमि की सुरक्षा हेतु कार्य कराया जाना अति आवश्यक था जिसमें कि रू0 246.34 लाख के व्यय का आंकलन पत्र राजकीय निर्गाण निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में रू0 60.00, 60.00 एवं 67.65 लाख का बजट प्राविधान किया गया है जिसमें कि बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराया जा रहा है तथा शेष कार्य पूर्ण कराने हेतु रू0 58.69 लाख की आवश्यकता पड़ेगीं। शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 58.69 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
5.	**मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना**	90000.00		राज्य सरकार की जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन करने हेतु व्यक्तिगत उद्यमशीलता के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना वर्ष 1994–95 से शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/पालीटेक्निक द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों व शासन की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों, स्वरोजगार में रूचि रखने वाली महिलाओं एवं व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय लेकर उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस योजना के पात्र हैं। योजना की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में शासनादेश संख्या 224(बी)/ क0नि0–6/2015–20 बी (57/10) दिनांक 04 अगस्त, 2015 के द्वारा योजना की अवधि 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दी गई है तथा **योजना की अधिकतम ऋण सीमा रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर रू0 10.00 लाख कर दी गई है।** चूंकि योजनान्तर्गत अधिकतम ऋण सीमा रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर 10.00 लाख कर दी गई है, जिससे दो गुना पूंजीनिवेश करते हुए उद्योगों की स्थापना कराई जायेगीं। प्रति इकाई औसत पूंजीनिवेश रू0 2.00 लाख से बढ़कर रू0 4.50 लाख होने के कारण वित्तीय वर्ष 2009–10 से वर्ष 2013–14 तक इस योजना हेतु सम्बन्धित उद्यमियों को देय ब्याज की धनराशि का समुचित प्राविधान न होने के कारण रू0 2700.00 लाख के दावें विभिन्न जनपद कार्यालयों में लम्बित थे उन लम्बित दावों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 800.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। इस तरह से अवशेष रू0 1900.00 लाख के दावे विभिन्न जनपद कार्यालयों में लम्बित है। शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 900.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
	योग राज्य सेक्टर	303924.00		

वर्ष 2016–2017 में पूँजीगत भवन निर्माण हेतु ब्याज रहित ऋण (हजार रूपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2016–17 (आयोजनागत)	आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2016–17 (आयोजनेत्तर)	योजना के मुख्य बिन्दु
1	2	3	4	5
1.	पूँजीगत भवन निर्माण हेतु ब्याज रहित ऋण	100000.00		शासन स्तर पर बोर्ड के विभागीय भवन के निर्माण हेतु रू0 2000.00 लाख ब्याज रहित ऋण दिये जाने का निर्णय लिया गया था जिससे कि बोर्ड का अर्धनिर्मित विभागीय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सके। बोर्ड के विभागीय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में शासन द्वारा रू0 1000.00 लाख ब्याज रहित ऋण के रूप में बजट प्राविधान किया जा चुका है अवशेष धनराशि रू0 1000.00 लाख की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 1000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
	योग पूँजी–	100000.00		

आयोजनागत मद की नई योजनायें

क्र0 सं0	योजना का नाम	आय– व्ययक अनुमान वर्ष 2016–17 आयोजनागत	आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2016–17 (आयोजनेत्तर)	योजना के मुख्य बिन्दु
1	2	3	4	5
1	जनपद कुशीनगर में मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	5000.00		जनपद कुशीनगर में खादी एवं ग्रामोद्योग सेक्टर क अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में विकास की असीम सम्भावनाओं को देखते हुए स्वरोजगार की स्थापना हेतु प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिससे जनपद कुशीनगर के अधिसंख्य ग्रामीणों को उनके परम्परागत उद्योगों एवं कम्प्यूटर/ अनाजदाल /फल प्रशोधन व हस्तकारीगरी (सिलाई–कटाई/कुम्हारी आदि) में कौशल विकास के माध्यम से बेरोजगार नवयुवक/युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार की स्थापना में सहयोग प्रदान किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2016–17 में मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र के भवन निर्माण हेतु रू0.50.00 लाख प्राविधानित किया गया है।
2	खादी के शोध, डिजाइन, मानकीकरण एवं प्रचार–प्रसार हेतु	4000.00		प्रदेश में खादी उत्पादन एवं खादी के वस्त्र निर्माण कार्य में 614 पंजीकृत एवं प्रमाणित संस्थाएं कार्यरत हैं। जिनके माध्यम से प्रदेश में लगभग 6.56 लाख व्यक्तियों को घर बैठे रोजगार प्राप्त हो रहा है। प्रदेश में सम्पूर्ण भारत वर्ष का लगभग 45 प्रतिशत सूती खादी का उत्पादन किया जाता है। खादी एवं खादी वस्त्रों के उत्पादन से जुड़े कार्मिकों /कामगारों को वर्तमान मांग के अनुसार तकनीकी, व्यवहारिक एवं गुणवत्तापरक उत्पादों को बनाने के साथ–साथ उत्पादित वस्तुओं की बिक्री में बाजार मांग के अनुरूप बिक्री की वृद्धि हेतु उच्च स्तरीय तकनीकी संस्थान, राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान, रायबरेली के सहयोग से खादी को प्रीमियम ब्राण्ड की तरह विकसित करने हेतु डिजाइनिंग, शोध, मानकीकरण एवं प्रचार–प्रसार कराने की योजना है। जिससे उत्पादों का उचित बिक्री मूल्य प्राप्त हो सके। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 40.00 लाख प्राविधानित किया गया है।
	योग	9000.00		

आयोजनेत्तर मद की योजनायें

क्र.सं.	योजना का नाम	आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2016–17 (आयोजनागत)	आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2016–17 (आयोजनेत्तर)	योजना के मुख्य बिन्दु
1	2	3	4	5
1.	ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों का आयोजन		8000.00	प्रदेश में कार्यरत खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों को प्रदर्शन एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद मुख्यालयों पर विभिन्न अवसरों पर लगने वाले मेलों में खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार लखनऊ में एक राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। जिससे प्रदेश के उद्यमियों को देश के अन्य राज्यों के उद्यमियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता एवं अन्य जानकारी प्राप्त हो सके तथा वे अपने उत्पादों में बाजार की माँग के अनुरूप सुधार कर सकें। साथ ही ग्रामोद्योगी इकाईयों के उत्पादों की बिक्री करने का पटल प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त बोर्ड के विभिन्न योजनाओं का प्रचार–प्रसार पम्फ्लेट, साहित्य/मासिक पत्रिका एवं सेमिनार/गोष्ठियों के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में रु0 80.00 लाख का प्राविधान किया गया है जिससे 01 मण्डल स्तरीय, 01 वृहद प्रदर्शनी, 03 जनपद स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया तथा जनपद लखनऊ में 01 राज्य स्तरीय एवं महाकुम्भ के अवसर पर जनपद इलाहाबाद में राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजन किया गया। वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु रु0 80.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
2.	उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय		1750.00	खादी एवं ग्रामोद्योग वस्तुओं के विपणन में अत्यधिक कठिनाई आती है, जिसका मुख्य कारण वस्तुओं की अच्छी गुणवत्ता का न होना, आकर्षक पैकिंग एवं ब्राण्डनेम का अभाव,गुणवत्ता मानक एवं नवीनतम तकनीक की जानकारी का अभाव, समुचित प्रचार–प्रसार का अभाव, आकर्षक डिजाईन एवं उत्पाद विविधता का अभाव है। जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय योजना प्रस्तावित की जा रही है तथा ग्रामीण उद्यमियों को उत्पाद विकास गुणवत्ता मानक एवं नवीनतम तकनीकी जानकारी देने के लिये पॉच दिवसीय टेक्निकल ट्रेनिंग सत्र एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी ताकि उद्यमियों को विभिन्न क्षेत्रों में विकसित नवीनतम तकनीकों की जानकारी प्राप्त हो सके। जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु इस मद में रु0 17.50 लाख का बजट प्राविधान किया गया । वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु रु0 17.50 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

3.	**कौशल सुधार प्रशिक्षण**		10000.00	बोर्ड द्वारा संचालित मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना एवं मार्जिन मनी योजना के अन्तर्गत स्थापित अनेक इकाईयाँ रुग्ण अथवा मृत हो जाती है। जिसका मुख्य कारण है उद्योग प्रबन्धन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दु जैसेः– तकनीकी प्रशिक्षण/ज्ञान का अभाव, एप्रोप्रिएट स्किल का अभाव, लेखों के रख–रखाव का अभाव, उत्पादन प्रक्रिया की अल्प जानकारी एवं वित्तीय प्रबन्धन का अभाव आदि है। इकाई की स्थापना से पूर्व उद्यमियों को उद्योग प्रबन्धन एवं उद्योग विशेष में कौशल सुधार प्रशिक्षण दिया जाना अति आवश्यक है ताकि स्थापित इकाईयों को रुग्ण अथवा मृत होने से बचाया जा सके। इस कार्य हेतु कौशल सुधार एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण योजना संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु इस मद में रू0 75.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया था। जिसके सापेक्ष रू0 75.00 लाख का व्यय करते हुए 1875 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु रू0 75.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। जिसके सापेक्ष रू0 60.00 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 1500 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया । वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु रू0 100 .00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
4.	**ई–गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन ऐण्ड कनेक्टिविटी**		2000.00	प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को बोर्ड की योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराने, सूचनाओं का सुचारुरूप से आदान प्रदान करने तथा बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का अनुश्रवण करने के उद्देश्य से यह योजना प्रस्तावित की गयी है। प्रदेश के सभी कार्यालयो को पूर्णतयां कम्प्यूटराईज्ड एवं कनेक्टिविटी उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 10.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। जिससे कि मुख्यालय पर स्थापित लीज लाइन के किराये का भुगतान एवं जनपदीय कार्यालयों में स्थापित कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों का रख–रखाव किया गया है तथा आनलाइन डोमेन नवीनीकरण मुख्यालय एवं जनपदों में संचालित वेब–बेस्ट साफ्टवेयरों पैकेजों का अनुरक्षण, कम्प्यूटर डाटा सुरक्षा हेतु एन्टीवायरस क्रय तथा नेटवर्किंग उपकरणों के अनुरक्षण का कार्य कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु रू0 20.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

5.	**मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना**		180000.00	राज्य सरकार की जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन करने हेतु व्यक्तिगत उद्यमशीलता के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना वर्ष 1994–95 से शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/पालीटेक्निक द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों व शासन की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों, स्वरोजगार में रुचि रखने वाली महिलाओं एवं व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय लेकर उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस योजना के पात्र हैं। योजना की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में शासनादेश संख्या–224(बी)/क0नि0–6/2015–20 बी (57/10) दिनांक 04 अगस्त, 2015 के द्वारा योजना की अवधि 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दी गई है तथा **योजना की अधिकतम ऋण सीमा रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर रू0 10.00 लाख कर दी गई है।** चूंकि योजनान्तर्गत अधिकतम ऋण सीमा रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर 10.00 लाख कर दी गई है, जिससे दो गुना पूंजीनिवेश करते हुए उद्योगों की स्थापना कराई जायेगी। प्रति इकाई औसत पूंजीनिवेश रू0 2.00 लाख से बढ़कर रू0 4.50 लाख होने का अनुमान है। साथ ही योजनान्तर्गत आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों हेतु सम्पूर्ण ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में शासन द्वारा अनुमन्य की जायेगी, जिसके लिए ब्याज उपादान के रूप में अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी। वित्तीय वर्ष 2015–16 में शासन द्वारा इस मद हेतु रू0 1800.00 लाख का प्राविधान किया गया है जिससे कि 909 इकाईयों की स्थापना कराते हुए लगभग 17722 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु रू0 1800.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
6.	**वित्तपोषित इकाईयों को व्यवहारिक प्रशिक्षण**		5000.00	ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ग्रामोद्योगी इकाईयों की स्थापना के पूर्व प्रशिक्षण का विशेष महत्व है। इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी व्यवहारिक एवं गुणवत्तायुक्त बनाने की दृष्टि से व्यावहारिक प्रशिक्षण योजना का क्रियान्वयन भी प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से किये जाने का कार्यक्रम है। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु इस मद में रू0 50.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है जिससे 1250 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु रू0 50.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
7.	**पुरस्कार योजना**		550.00	खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत प्रदेश में कार्यरत संस्थाओं/समितियों एवं व्यक्तिगत इकाईयों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कराने के उद्देश्य से सफल एवं उत्कृष्ट इकाईयों को मण्डल एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु इस मद में रू0 5.50 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के उत्कृष्ट उद्यमियों को चयनित कर पुरस्कृत किया गया है। । वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु रू0 5.50 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
	योग आयोजनेत्तर		207300.00	
	योगआयोजनागत+आयोजनेत्तर	412924.00	207300.00	

वर्ष 2016–2017 में बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली आयोजनागत योजनाओं (टी0एस0पी0, अनुदान सं0 81 के अन्तर्गत) का विवरण :–

(हजार रूपये में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	आय– व्ययक अनुमान वर्ष 2016–17 आयोजनागत	योजना के मुख्य बिन्दु
1	2	3	4
	राज्य सेक्टर		
1.	**कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना**	408.00	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य कौशल अभिवृद्धि प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा नवीनतम तकनीकी की जानकारी भी उपलब्ध कराई जायेगी ताकि वह आज की चुनौतियों का सामना करते हुए स्वावलम्बी बन सकें। वित्तीय वर्ष 2015–16 में रु0 1.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष रू0 1.00 लाख का व्यय करते हुए 25 उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया। वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु रू0 4.08 लाख का बजट प्राविधानित किया गया है।
	योग राज्य सेक्टर	408.00	
	जिला सेक्टर		
2	**मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना/ ब्याज उपादान योजना**	300.00	राज्य सरकार की जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन करने हेतु व्यक्तिगत उद्यमशीलता के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना वर्ष 1994–95 से शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/पालीटेक्निक द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों तथा ट्राइसेम व शासन की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों, स्वरोजगार में रूचि रखने वाली महिलाओं एवं व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय लेकर उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस योजना के पात्र हैं। योजना की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में शासनादेश संख्या–224(बी)/ क0नि0–6/2015–20 बी (57/10) दिनांक 04 अगस्त, 2015 के द्वारा योजना की अवधि 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दी गई है तथा **योजना की अधिकतम ऋण सीमा रू0 5. 00 लाख से बढ़ाकर रू0 10.00 लाख कर दी गई है।** चूंकि योजनान्तर्गत अधिकतम ऋण सीमा रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर 10.00 लाख कर दी गई है, जिससे दो गुना पूंजीनिवेश करते हुए उद्योगों की स्थापना कराई जायेगी। प्रति इकाई औसत पूंजीनिवेश रू0 2.00 लाख से बढ़कर रू0 4. 50 लाख होने का अनुमान है। साथ ही योजनान्तर्गत आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों हेतु सम्पूर्ण ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में शासन द्वारा अनुमन्य की जायेगी, जिसके लिए ब्याज उपादान के रूप में अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी। वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त योजना हेतु रू0 2.50 लाख का प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु रू0 3.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
	योग जिला सेक्टर	300.00	
	योग राज्य+जिला सेक्टर	708.00	

वर्ष 2016-2017 में बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली आयोजनागत योजनाओं (एस0सी0एस0पी0, अनुदान सं0 83 के अन्तर्गत) का विवरण :-

(हजार रूपये में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	आय- व्ययक अनुमान वर्ष 2016-17 आयोजनागत	योजना के मुख्य बिन्दु
1	2	3	4
	राज्य सेक्टर		
1.	**विपणन विकास सहायता कार्यक्रम**	26000.00	प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों/उद्यमियों को योजनाओं के अन्तर्गत वित्तपोषित इकाईयों के उत्पादों के प्रदर्शन/विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रस्तावित है। साथ हीं अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को उनके उत्पादों के विपणन हेतु अधिक जागरूक बनाने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस योजना हेतु रु0 237.50 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु रु0 260.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
2.	**उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय**	1000.00	ग्रामोद्योगी उत्पादों को मार्केट प्रतिस्पर्धा में उचित स्थान बनाने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग एवं वैल्यूएटेड करने की नितान्त आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से यह योजना संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस योजना हेतु रु0 8.80 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु रु0 100.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
3.	**कौशल सुधार एवं प्रशिक्षण**	30000.00	ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों, परम्परागत कारीगरों को उनके कौशल में सुधार लाने हेतु प्रशिक्षण तथा नवीनतम तकनीक के उपकरणों की जानकारी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस योजना हेतु रु0 150.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु रु0 300.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
	योग राज्य सेक्टर	57000.00	

जिला सेक्टर			
4.	**मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना**	25500.00	राज्य सरकार की जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन करने हेतु व्यक्तिगत उद्यमशीलता के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना वर्ष 1994-95 से शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/पालीटेक्निक द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों व शासन की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों, स्वरोजगार में रूचि रखने वाली महिलाओं एवं व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय लेकर उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस योजना के पात्र हैं। योजना की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासनादेश संख्या-224(बी)/ क0नि0-6/2015-20 बी (57/10) दिनांक 04 अगस्त, 2015 के द्वारा योजना की अवधि 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दी गई है तथा **योजना की अधिकतम ऋण सीमा रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर रू0 10.00 लाख कर दी गई है।** चूंकि योजनान्तर्गत अधिकतम ऋण सीमा रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर 10.00 लाख कर दी गई है, जिससे दो गुना पूंजीनिवेश करते हुए उद्योगों की स्थापना कराई जायेगी। प्रति इकाई औसत पूंजीनिवेश रू0 2.00 लाख से बढ़कर रू0 4.50 लाख होने का अनुमान है। साथ ही योजनान्तर्गत आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों हेतु सम्पूर्ण ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में शासन द्वारा अनुमन्य की जायेगी, जिसके लिए ब्याज उपादान के रूप में अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी। वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजना हेतु रू0 255.00 लाख का प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु रू0 255.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
	योग जिला सेक्टर	25500.00	
	योग राज्य+जिला सेक्टर	82500.00	

वर्ष 2015–16 की विशेष उपलब्धियाँ

1 **शासनादेश संख्या–224(बी)/ क0नि0–6/2015–20 बी (57/10) दिनांक 04 अगस्त, 2015 के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की अवधि 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दी गई है जिसके अन्तर्गत ग्रामोद्योगी इकाई स्थापना हेतु अधिकतम ऋण सीमा रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर रू0 10.00 लाख की गई है। इसके अतिरिक्त आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग,भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं) को ऋण धनराशि पर 4 प्रतिशत ब्याज के स्थान पर ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जायेगा,** जबकि सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा। योजनान्तर्गत प्रचार–प्रसार, जागरूकता कार्यक्रम तथा मूल्यांकन हेतु कुल स्वीकृत धनराशि का क्रमशः 1–1 प्रतिशत का प्राविधान किया गया है। योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को 20 प्रतिशत मात्राकृत करते हुए आच्छादित किया गया।

2 बोर्ड द्वारा संचालित मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह जनवरी, 2016 तक रू0 44.31 करोड़ के संस्थागत पूँजी निवेश से 909 ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना करायी गयी जिसमें 17722 लाभार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

3 वर्ष 2008–09 से प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नाम से नई योजना शुरु की गयी। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह जनवरी, 2016 तक 1298 ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना करायी गयी जिसमें 12980 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराये गये।

4 वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह जनवरी, 2016 तक खादी संस्थाओं द्वारा धनराशि रू0 99.95 करोड़ की खादी बिक्री की गयी । वर्ष 2015–16 में माह जनवरी, 2016 तक शासन से प्राप्त रू0 5460.00 लाख के रिबेट दावों के अन्तर्गत संस्थाओं के वर्ष 2014–15 एवं खादी संस्थाओं के विगत वर्षों के लम्बित रिबेट दावों के भुगतान किये गये।

5 वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह जनवरी, 2016 तक 14 खादी उत्पादन केन्द्रों के द्वारा रू0 23.66 लाख का उत्पादन किया गया तथा रू0 41.66 लाख की खादी की बिक्री की गयी, जिससे 1945 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर सुलभ हुए।

6 वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह जनवरी, 2016 तक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, लखनऊ व गोरखपुर द्वारा 90 उत्पादों के सैम्पुल परीक्षण कर गुणवत्ता सुधार, पैकेजिंग एवं लेबलिंग को आकर्षक बनाने हेतु परामर्श एवं मार्गदर्शन दिया गया।

7 वित्तीय वर्ष 2015–16 में शासन की ई–गवर्नेन्स पद्धति को बढ़ावा देने की नीति के अन्तर्गत उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में वर्ष 2007–08 में उक्त योजना प्रारम्भ की गयी है। बोर्ड मुख्यालय पर अधिकारियों के कक्षों में कम्प्यूटरों की स्थापना करायी गयी। स्थापित समस्त कम्प्यूटरों से नेटवर्किंग के माध्यम से कार्य हो रहा है तथा विभागीय साफ्टवेयर पैकेज भी संचालित किये जा रहे हैं। जनपदीय कार्यालयों द्वारा विभागीय कार्य कम्प्यूटरों के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं और कार्यालयों द्वारा मंगायी/भेजी जाने वाली सूचनाओं का आदान–प्रदान में ई–मेल सुविधा का व्यापक उपयोग भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नेटवर्किंग हेतु मुख्यालय पर स्थापित समस्त कम्प्यूटरों पर वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

8 वित्तीय वर्ष 2015–16 में बोर्ड द्वारा वित्तपोषित इकाईयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के प्रचार–प्रसार एवं विपणन हेतु एक मण्डलीय स्तरीय, एक वृहद प्रदर्शनी, तीन जनपद स्तरीय प्रदर्शनी एवं एक लखनऊ में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी तथा महाकुम्भ के अवसर पर इलाहाबाद में राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग रू0 1135.15 लाख़ के खादी एवं ग्रामोद्योगी उत्पादों की बिक्री हुई ।

9 वित्तीय वर्ष 2015–16 में बोर्ड द्वारा संचालित प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोगार योजना को जन साधारण तक पहॅुचाने के लिए ब्यापक प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण कराया गया ।

10 वित्तीय वर्ष 2015–16 में जन सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने वाले व्यक्तियों को सूचनाएं उपलब्ध करायीं गयीं।

11 प्रदेश में खादी वस्त्रों के आधुनिक डिजाइनिंग हेतु राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान, रायबरेली के सहयोग से फैशन शो का आयोजन किया गया जिसमें कि खादी वस्त्रों की उच्च स्तरीय डिजाइनिंग करके प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर विपणन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा प्राप्त कर सके।

12 प्रदेश में खादी वस्त्र एवं खादी से बने हुये खादी उत्पादों के विपणन की आनलाइन मार्केटिंग फिलिपकार्ड एंव स्नेपडील जैसी प्रसिद्व संस्थाओं से कराये जाने का प्रयास किया गया जिससे कि खादी वस्त्रों की आनलाइन बिक्री के साथ ही बिक्री का उचित मूल्य खादी संस्थाओं को प्राप्त हो सके।

परिशिष्ट – 2

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में स्वीकृत, रिक्त तथा भरे हुए पदों का वर्षवार विवरण

उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में निम्न पद स्वीकृत हैं। इनका वेतन भत्ते आदि देयकों का भुगतान शासन से प्राप्त अनुदान से किया जाता है।

समूह	स्वीकृत			भरे			रिक्त		
	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2013-2014	2014-2015	2015-2016
क	32	32	32	23	23	21	09	09	11
ख	111	111	111	43	40	32	68	71	79
ग	1073	1073	1073	587	573	556	486	500	571
घ	435	435	435	148	140	133	287	295	305
योग	**1651**	**1651**	**1651**	**801**	**776**	**742**	**850**	**875**	**909**

वित्तीय आवश्यकतायें

2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

001–निदेशालय तथा प्रशासन

क: कार्यकलापों एवं कार्यक्रमों का वर्गीकरण

(धनराशि रुपये हजार में)

क्र0सं0	मद/योजना	वास्तविक व्यय 2014–2015			आय–व्ययक अनुमान 2015–2016			पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2015–2016			आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2016–2017		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(अ)	अधिष्ठान	0.00	3313.74	**3313.74**	0.00	4018.00	**4018.00**	0.00	4018.00	**4018.00**	0.00	4290.00	**4290.00**
	योग	**0.00**	**3313.74**	**3313.74**	**0.00**	**4018.00**	**4018.00**	**0.00**	**4018.00**	**4018.00**	**0.00**	**4290.00**	**4290.00**

ख: उद्देश्यवार वर्गीकरण

कोड संख्या	मद	वास्तविक व्यय 2014–2015			आय–व्ययक अनुमान 2015–2016			पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2015–2016			आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2016–2017		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	वेतन	0.00	1369.04	**1369.04**	0.00	1400.00	**1400.00**	0.00	1400.00	**1400.00**	0.00	1393.00	**1393.00**
2	मजदूरी	0.00	6.00	**6.00**	0.00	6.00	**6.00**	0.00	6.00	**6.00**	0.00	6.00	**6.00**
3	मंहगाई भत्ता	0.00	1426.33	**1426.33**	0.00	1680.00	**1680.00**	0.00	1680.00	**1680.00**	0.00	1894.00	**1894.00**
4	यात्रा भत्ता	0.00	17.00	**17.00**	0.00	30.00	**30.00**	0.00	30.00	**30.00**	0.00	30.00	**30.00**
5	स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	0.00	0.00	**0.00**	0.00	15.00	**15.00**	0.00	15.00	**15.00**	0.00	15.00	**15.00**
6	अन्य भत्ते	0.00	139.23	**139.23**	0.00	160.00	**160.00**	0.00	160.00	**160.00**	0.00	160.00	**160.00**
7	मानदेय	0.00	10.00	**10.00**	0.00	10.00	**10.00**	0.00	10.00	**10.00**	0.00	10.00	**10.00**
8	कार्यालय व्यय	0.00	31.65	**31.65**	0.00	25.00	**25.00**	0.00	25.00	**25.00**	0.00	28.00	**28.00**
11	लेखन सामग्री/फार्म छपाई	0.00	14.04	**14.04**	0.00	20.00	**20.00**	0.00	20.00	**20.00**	0.00	20.00	**20.00**
12	कार्यालय फर्नीचर उपकरण मरम्मत	0.00	20.00	**20.00**	0.00	30.00	**30.00**	0.00	30.00	**30.00**	0.00	30.00	**30.00**
13	टेलीफोन पर व्यय	0.00	13.32	**13.32**	0.00	30.00	**30.00**	0.00	30.00	**30.00**	0.00	30.00	**30.00**
14	मोटर गाड़ियों का कय	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
15	गाड़ी अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	0.00	78.27	**78.27**	0.00	150.00	**150.00**	0.00	150.00	**150.00**	0.00	150.00	**150.00**
16	व्यवसायिक एवं विशेष सेवा हेतु अनुदान	0.00	0.00	**0.00**	0.00	250.00	**250.00**	0.00	250.00	**250.00**	0.00	250.00	**250.00**
42	अन्य व्यय	0.00	0.00	**0.00**	0.00	10.00	**10.00**	0.00	10.00	**10.00**	0.00	10.00	**10.00**
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं प्रासंगिक व्यय	0.00	10.00	**10.00**	0.00	20.00	**20.00**	0.00	20.00	**20.00**	0.00	20.00	**20.00**
45	अवकाश यात्रा भत्ता	0.00	15.96	**15.96**	0.00	15.00	**15.00**	0.00	15.00	**15.00**	0.00	15.00	**15.00**
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर क्रय	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	60.00	**60.00**
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी क्रय	0.00	40.00	**40.00**	0.00	40.00	**40.00**	0.00	40.00	**40.00**	0.00	42.00	**42.00**
49	चिकित्सा व्यय	0.00	125.00	**131.60**	0.00	125.00	**125.00**	0.00	125.00	**125.00**	0.00	125.00	**125.00**
50	वर्दी व्यय	0.00	1.30	**1.30**	0.00	2.00	**2.00**	0.00	2.00	**2.00**	0.00	2.00	**2.00**
	योग	**0.00**	**3317.14**	**3323.74**	**0.00**	**4018.00**	**4018.00**	**0.00**	**4018.00**	**4018.00**	**0.00**	**4290.00**	**4290.00**

ग : वित्तीय संसाधनों के स्रोत

¼/kujkf'k #0 gtkj e½

क्र0	अनुदान	मुख्य लेखा शीर्षक	वास्तविक व्यय 2014–2015			आय–व्ययक अनुमान 2015–2016			पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2015–2016			आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2016–2017		
सं0	संख्या		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	vk;kstusRrj	;ksx
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	5	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग आयोजनेत्तर 001निदेशक तथा प्रशासन 03 कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय	0.00	3313.74	**3313.74**	0.00	4018.00	**4018.00**	0.00	4018.00	**4018.00**	0.00	4290.00	**4290.00**
		;ksx	**0.00**	**3313.74**	**3313.74**	**0.00**	**4018.00**	**4018.00**	**0.00**	**4018.00**	**4018.00**	**0.00**	**4290.00**	**4290.00**

परिशिष्ट – 'क'

कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय का संगठनात्मक ढाँचा

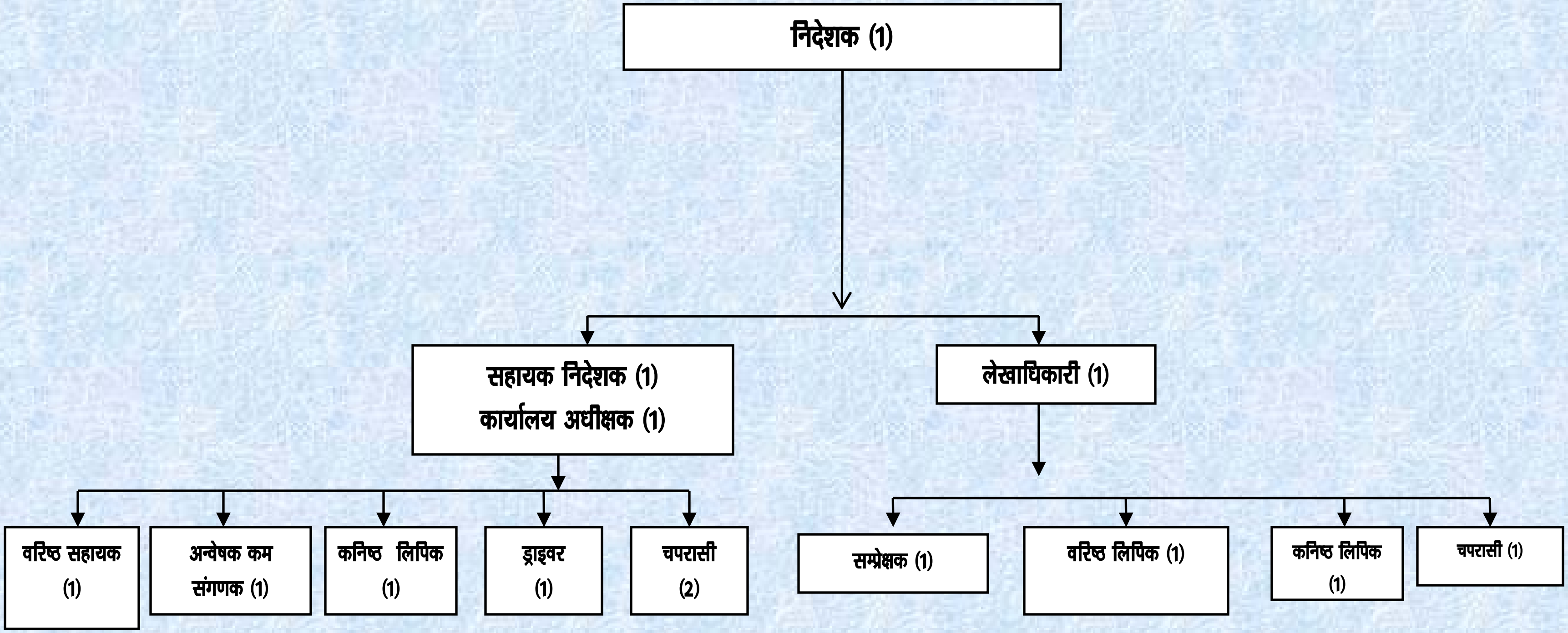

परिशिष्ट – 'ख'

बोर्ड का प्रशासनिक ढाँचा

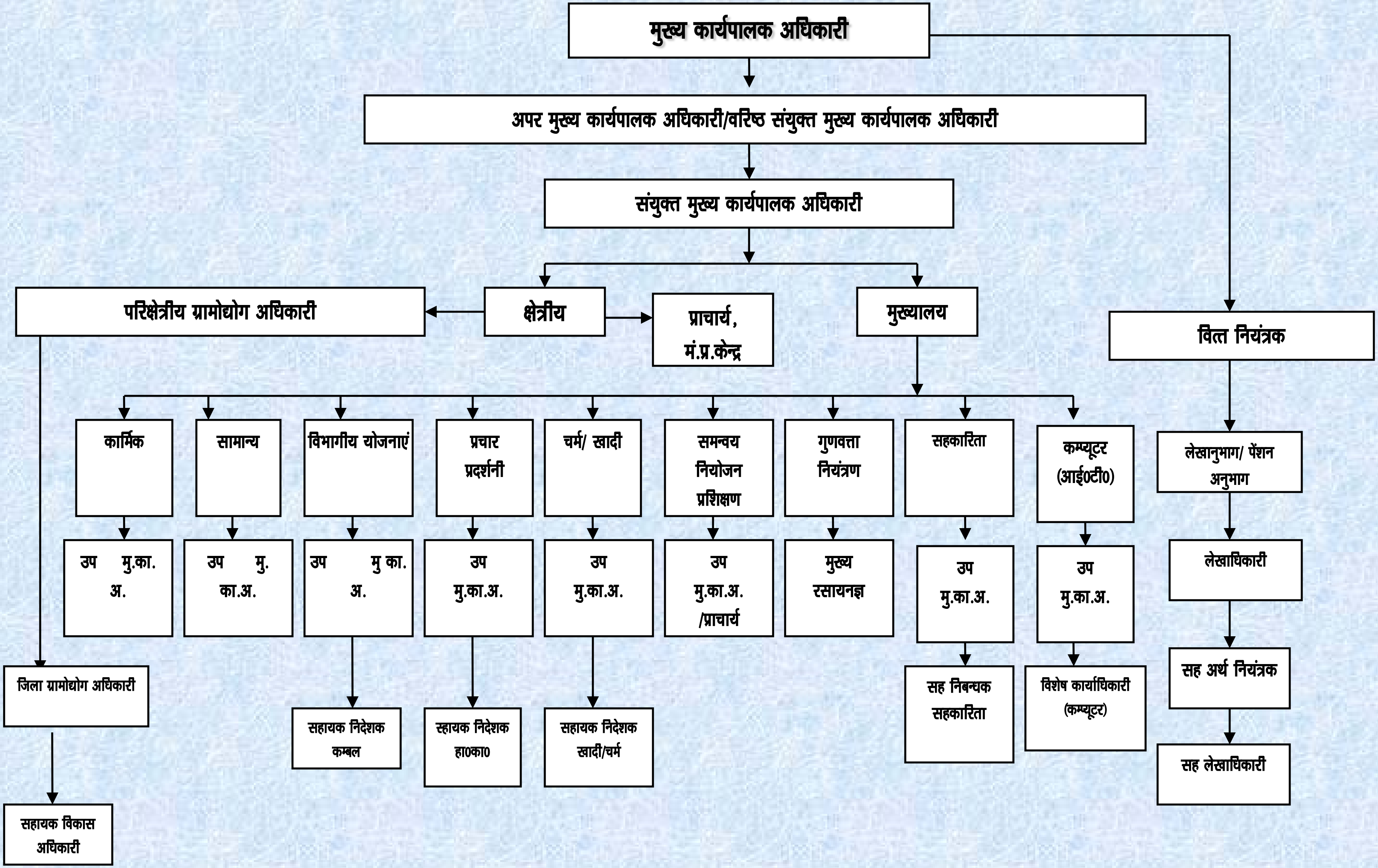
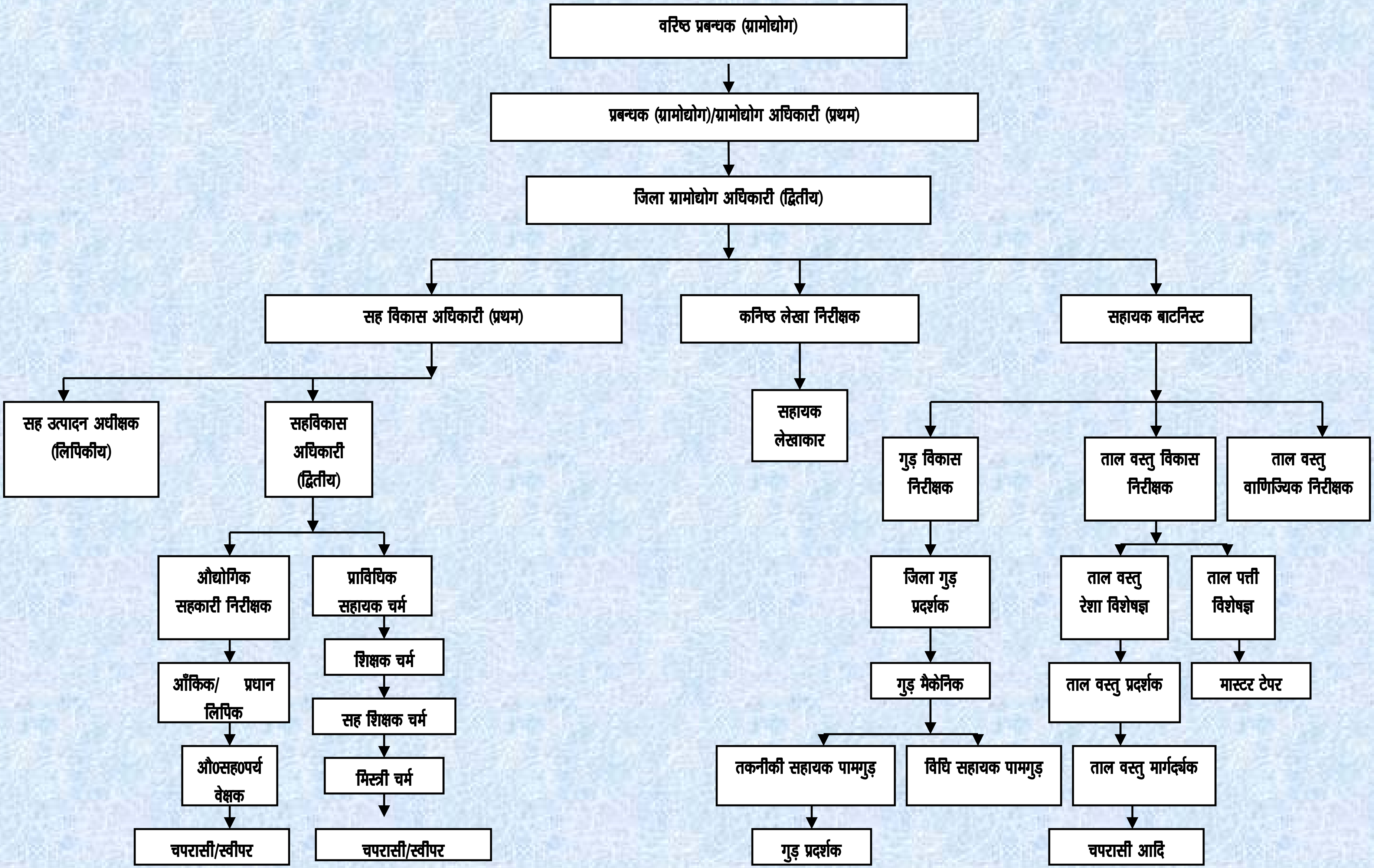
जिला कार्यालयों पर स्वीकृत पदों का ढाँचा